

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 23/07/2021 को संपन्न 380वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021 को श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. श्री. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौहटा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. श्री. एम.डब्ल्यू.दास, खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. श्री. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. श्री. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री कलदियुक्त तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ 375वीं, 376वीं, 377वीं, 378वीं एवं 379वीं बैठक क्रमशः दिनांक 15/06/2021, 16/06/2021, 17/06/2021, 18/06/2021 एवं 19/06/2021 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक 27/06/2021 को किया गया।

एजीन्डा आवंटन क्रमांक-1: गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स बीमाटी बेरली पोन्नावन (पेम्प्टीतराई बोलोमाईट माईन), ग्राम-पेम्प्टीतराई, तहसील-धनधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1593)

ऑनलाईन आवंटन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 202957 / 2021, दिनांक 11/03/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवंटन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 23/03/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 02/04/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित बोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-पेम्प्टीतराई, तहसील-धनधा, जिला-दुर्ग स्थित खदान क्रमांक 21/6(घाटे), 21/7, 21/8 एवं 21/9, कुल क्षेत्रफल-194 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवंटित सतखनन क्षमता- 36,581.25 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 371वीं बैठक दिनांक 28/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विधियो कान्फेरेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 28/05/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के सम्मेलन बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 21/05/2021 को परिप्रेक्ष्य की वांछित जानकारी एवं समस्त सुरसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विधियो कान्फेरेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल पत्र दिनांक 15/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के सम्मेलन बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में वाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुरसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 23/07/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि क्लस्टर हेतु होमोजिनिवस मिन्टल क्षेत्र में खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निलस्त किये जाने की अनुमति दी गई।

उपरोक्त पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स खरसूरा ब्रिक अर्थवले क्वारी माईन एण्ड फिक्स विमनी प्लांट (प्रो.- श्री रविन्द कुमार जायसवाल), ग्राम-खरसूरा, तहसील व जिला-सुरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1648)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 211810/2021, दिनांक 11/05/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गोण खनिज) खदान एवं फिक्स विमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-खरसूरा, तहसील व जिला-सुरजपुर स्थित खनन क्रमांक 1558, 1564, 1569, 1572 एवं 1565, कुल क्षेत्रफल-2.18 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 3,030.04 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 15,45,978 नम) प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल दिनांक 01/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 21/05/2021 के परिपेक्ष्य की वापिस जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।



(क) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कॉन्फेरेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल पत्र दिनांक 15/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के सम्मेलन बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में वाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ को ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कॉन्फेरेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 01/06/2021 एवं 15/06/2021 को बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में वाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स नयनपुर बिक्स अर्थात्ले स्वामी एण्ड ब्रिक फिल्ड (प्री- श्री जगमोहन प्रसाद अग्रवाल), ग्राम-नयनपुर, तहसील व जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1592)

ऑनसाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 202918/2021, दिनांक 10/03/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (ग्रीण खनिज) खदान एवं फिक्स विमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-नयनपुर, तहसील व जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 502 एवं 503, कुल क्षेत्रफल - 1.98 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 2,725.6 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 15.33,150 नग) प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-



1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निधिगत प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निधिगत प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणीत करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमांक दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 05/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल दिनांक 05/05/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति को समझ बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई बाधित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल दिनांक 01/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति को समझ बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई बाधित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल पत्र दिनांक 15/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति को समझ बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित

होना समय नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 05/05/2021 एवं 01/06/2021 के बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

समिति द्वारा उत्सामय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में वाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विक्रियो कांफेसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति आई गई—

1. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 4 अवसर प्रदान किये गये हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपरिहार्य कारणों का लेख करते हुये समय दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे समिति का अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।

2. समिति की बैठक दिनांक 24/03/2021 में लिए गये निर्णय अनुसार वांछित जानकारी अतः दिनांक (4 माह) तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को नसीबद्ध / निरस्त किया जाए।

राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्वारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्री फनेन्द कुमार जैन (सालिक-झिटिया फ्लैग स्टोन माईन), ग्राम-सालिक झिटिया, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नरती क्रमांक 1543)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 182971 / 2020, दिनांक 29/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित कच्ची पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सालिक झिटिया, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव स्थित खस्त्रा क्रमांक 66/2, कुल क्षेत्रफल-0.6889 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-8,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की बस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सड़क खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनिटीस मिश्रण क्षेत्र में विद्यमान खदानों की लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निवारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निवारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के धारण में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री फनेन्द्र कुमार जैन, प्रोपरट्टीटर उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु वरिष्ठ जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 05/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 05/05/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि प्रस्तुतीकरण हेतु वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विद्विधो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल दिनांक 01/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विद्विधो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल पत्र दिनांक 14/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 24/03/2021, 05/05/2021 एवं 01/06/2021 के बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ई) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विधियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल दिनांक 22/07/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति को समग्र बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति पाई गई-

1. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 5 अवसर प्रदान किये गये हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपरिहार्य कारणों का लेख करते हुये समय दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे समिति का अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।
2. समिति की बैठक दिनांक 11/02/2021 में लिए गये निर्णय अनुसार बाधित जानकारी आज दिनांक (लगभग 6 माह) तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को नस्तीबद्ध / निरस्त किया जाए।

राज्य स्तर पर्यावरण समाजवादी निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स देवडोंगर लाईम स्टोन स्वारी (प्रो.- श्री अतुल गोयल), ग्राम-देवडोंगर, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1437)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 178704 / 2020, दिनांक 24/10/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमियां होने से ड्रापन दिनांक 28/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बाधित जानकारी दिनांक 06/06/2021 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संभावित नूतन पाथर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-देवडोंगर, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 342, कुल क्षेत्रफल-1.67 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-18,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को ड्रापन एवं ई-मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 379वीं बैठक दिनांक 19/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विधियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल दिनांक 18/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति को समग्र बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई व्यक्तिगत जानकारी एवं समस्त सुरुंगगत जानकारी / प्रस्तावक सहित प्रस्तुतीकरण विधे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. जलतीसगढ़ को ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अतुल गोपाल प्रोग्रामर विद्विषो कान्फेरेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में चुना पत्थर खदान पार्ट ऑफ खनरा क्रमांक 342, कुल क्षेत्रफल - 1.67 हेक्टेयर, क्षमता - 18,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभागत निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनादगांव द्वारा दिनांक 06/09/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनादगांव के ज्ञापन क्रमांक 562/ख.सि.02/2021 राजनादगांव दिनांक 22/07/2021 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
11/09/2016 से 31/03/2017	17,900
2017-18	18,000
2018-19	17,900
2019-20	15,000
2020-21	निरस्त

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुनखीठ खुर्द का दिनांक 15/11/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - माइनिंग प्लान (खनरी काम इन्फोर्मेड मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/तीन-8/ख.सि./2018/562 रायपुर, दिनांक 02/02/2018 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनादगांव के ज्ञापन क्रमांक 561/ख.सि.01/2021 राजनादगांव, दिनांक 28/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 8,218 हेक्टेयर है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनादगांव के ज्ञापन क्रमांक 561/ख.सि.

(Handwritten signature)

01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे सरपट, धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह सार्वजनिक भूमि है। पूर्व में लीज की अतुल गांधी के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्षों अवधि दिनांक 18/11/1988 से 17/11/1991 तक थी। लीज का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 18/11/1991 से 17/11/1996 तक, लीज का द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 18/11/1996 से 17/11/2001 तक, लीज का तृतीय नवीनीकरण दिनांक 18/11/2001 से 17/11/2006 तक, लीज का चतुर्थ नवीनीकरण दिनांक 18/11/2006 से 17/11/2011 तक एवं लीज का पंचम नवीनीकरण दिनांक 18/11/2011 से 17/11/2016 तक की गई थी। तत्पश्चात् लीज डीड दिनांक 18/11/2016 से 31/03/2020 तक की अवधि हेतु विस्तारित किया गया था।
7. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – पूर्व स्वीकृत खनिजपट्टा के 5 वर्ष के लिए विस्तारित किये जाने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ड्राफ्ट क्रमांक 328/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 08/08/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के ड्राफ्ट क्रमांक/मा.वि./न.क्र. 10-1/2020/2583 राजनांदगांव, दिनांक 23/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र के क्रम क्रमांक 851 से 38 कि.मी. दूर है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-देवडोंगर 0.36 कि.मी., स्कूल ग्राम-घवरदाल 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-घवरदाल 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.7 कि.मी. दूर है। तालाब 0.5 कि.मी., शिवनाथ नदी 21 कि.मी. एवं सगपटा आरक्षित वन 8 कि.मी. दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्वांटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जिबेरोलॉजिकल रिजर्व 3,34,000 टन, माईनेरल रिजर्व 2,98,000 टन एवं रिवाइटेबल रिजर्व 2,66,400 टन है। लीज की 7.5 मीटर धीड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,968 वर्गमीटर है। ऑपन कार्ट सेमी नेकनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में उपायी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं

गोलाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ऊपर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 0.03 हेक्टेयर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं स्टाबिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	18,000	छाटम	18,000
द्वितीय	18,000	सातम	18,000
तृतीय	18,000	अष्टम	18,000
चतुर्थ	18,000	नवम	18,000
पंचम	18,000	दशम	18,000

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 12 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल की माध्यम से की जाती है। नू-जल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अधीरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाएगा।
14. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में घाटी ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 मग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के घाटी ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,968 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से उत्तरी दिशा में 875 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई, पश्चिमी दिशा में 285 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई, पूर्वी दिशा में 325 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई एवं दक्षिणी दिशा में 140 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में ऊपर हेतु बनीक रिजर्व की गणना का उल्लेख नहीं किया गया है। आ: उपरोक्त का समावेश करते हुये पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुन:नया एवं रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान फाईनल ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।
16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्तें क्रमांक VIII (c) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल सेच, नई दिल्ली द्वारा सतर्क फॉल्गेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव को द्वापन क्रमांक 561/ख.लि.01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 28/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 8.218 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-देवडोंगर) का रकबा 1.57 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-देवडोंगर) को मिलाकर कुल रकबा 9.888 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन की कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचार उपायों (Remedial Measures) की संघर्ष में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा दृष्टारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, मीनिंगी तथा खनिकर्म, इंडास्ट्री भवन, भवा सधपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायर्समेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे बोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-
 - i. Project proponent shall inform S.E.A.C, Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit top soil management & incorporate the details in the EIA report.
 - iv. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.
 - v. Project proponent shall submit NOC from CGWA for usage of water.
 - vi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.
 - vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

- vii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan incorporating all the reserves calculation accordingly.
- ix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery where previously mining has been done & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
- x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स बड़ांजी लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्री मद्धा राम, आदिवासी हरिजन स्टोन क्रशर को-आपरेटिव सोसायटी), ग्राम-बड़ांजी, तहसील-जोहाडीगुडा, जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 706)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 74574/2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन/63800/2018, दिनांक 27/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह खदान उत्खनन की श्रेणी का है। यह पूर्व से संघालित खुदा पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बड़ांजी, तहसील-जोहाडीगुडा, जिला-बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 207/13(पार्ट), कुल क्षेत्रफल - 2.02 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 10,000 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 25/06/2019 द्वारा प्रकल्प उत्खनन का होने के कारण अधिसूचना का आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हीयरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हीयरमेंट मनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकटित श्रेणी 1(ए) का स्टैन्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नौन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आपन एवं ई-मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 16/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विधियो कन्फेरेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल पत्र दिनांक 16/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति की सम्म बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित



होना समय नहीं है। अतः दिनांक 17/06/2021 की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अमान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 11/06/2021 के परिषद की संज्ञित जानकारी एवं संस्था सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. कल्लोसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मन्मथ राम, प्रोपर्टी डेवलपर सलाहकार के रूप में मेसर्स ओवरसीस माईन-टेक कन्सलटेन्ट्स की ओर से डॉ. अजली हरीनाथ चावने विडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- ii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2758/ खनिज/ खलि.02/ खनिपट्टा/ 4/ 94 जगदलपुर दिनांक 22/12/2018 के अनुसार वर्षवार उत्पादन का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:-

वर्ष	उत्खनन मात्रा (टन)	वर्ष	उत्खनन मात्रा (टन)
2001	4,937	2010	10,264.64
2002	13,311	2011	1,300
2003	8,654	2012	1,495.96
2004	5,831	2013	1,501
2005	9,082	2014	-
2006	6,474	2015	776
2007	3,803	2016	3,042.195
2008	6,333	2017	50
2009	5,719		

iii. उत्खनन कार्य दिनांक 08/02/2018 से बंद है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बड़गंजी का दिनांक 02/10/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - नैतिकवाइल माईनिंग प्लान एण्ड प्री-रेसिड माईन कलक्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक बस्तर/ घुप/ खमी-1155/ 2018/ रायपुर दिनांक 18/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2426/खनिज/ख.लि.1/ख.प./2018 जगदलपुर, दिनांक 16/10/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, संजफल 15.63 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विद्यार्थीन खदान को लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिधियों के बीच दूरी उस संस्था खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिधर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनिजस मिश्रण क्षेत्र में विद्यार्थीन खदान को लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को यहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनोकाट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. लीज का विवरण – लीज श्री मन्मथ राम के नाम पर है। लीज बीड 20 वर्ष अर्थात् दिनांक 19/07/1999 से 18/07/2019 तक की अवधि हेतु किया था।
7. मू-स्वामित्व – मू-स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वन मंडलाधिकारी, बस्तर सामान्य वन मंडल, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक 2219, दिनांक 09/07/1999 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-बड़ाजी 0.75 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम-बड़ाजी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 138 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 58 कि.मी. दूर है। छोटा नाला 1.25 कि.मी., इन्द्रावती नदी 2 कि.मी., नरगी नदी 4 कि.मी. एवं मारकण्डी नदी 7.9 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पील्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जिपकोलॉजिकल रिजर्व 6,30,785 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,38,836 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का कुल क्षेत्रफल 4,200 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 10 मीटर एवं घोंडाई 4 मीटर है। खदान की संभावित आयु 34 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क़रार स्थापित किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लारिंटिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
2016-17	1,974 (Actual)
2017-18	0 (Actual)
2018-19	10,000
2019-20	10,000
2020-21	10,000

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.63 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की जाएगी।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,100 मग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,200 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 740 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःनवाव कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि माईनिंग प्लान अनुसार वेस्ट/डम्प को 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में भंडारण किया जाएगा। साथ ही अनुमोदित माईनिंग प्लान में क़रार का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर है, जो कि उपयुक्त प्रतिपादित नहीं होता है। समिति का मत है कि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी को छोड़कर लीज क्षेत्र के भीतर किसी अन्य क्षेत्र में वेस्ट/डम्प क्षेत्र प्रस्तावित कर एवं क़रार क्षेत्र का उल्लेख कर लेन्ड यूज पैटर्न के साथ संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीम कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक V(B)(ii) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जॉन में वृद्धारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2019 से मई, 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 7 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 7 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.₁₀ 21.14 से 33.66 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम._{2.5} 47.38 से 64.58 माईक्रोग्राम/घनमीटर एर.ओ.₃ 8.54 से 13.82 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एन.ओ.₂ 9.82 से 18.95 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।
- iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।
- iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 40.2 डीबीए से 59.2 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 38.4 डीबीए से 58.6 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

19. लोक सुनवाई दिनांक 13/01/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान - घेरणा हॉल, जिला कार्यालय, जगदलपुर, जिला-बस्तर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई वस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 08/02/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- i. खदान क्षेत्र में घास धरो संरक्षण बेल गिर गया था एवं एक व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई थी।
- ii. पानी की व्यवस्था, गजदूरी की स्वास्थ्य बीमा आदि की व्यवस्था नहीं है।
- iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- i. पूर्व में हुई दुर्घटना हेतु मुआवजा दिया गया है। साथ ही ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो इस हेतु खदान क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग कार्य किया गया है। लेकिन प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में खदान क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग का कार्य नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व परकी फेंसिंग (आर.सी.सी. के खम्भे एवं कटौती तार से) पूर्ण करने के उपरांत ही किया जाएगा।

- ii. सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्य एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
- iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्वतंत्र लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।
21. इन्धायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कुल 4 खदानें आती हैं। अतः इन्धायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं-
- प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिष्करण के दौरान सड़कों/एग्रीव रीड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
 - खदानों के 7.5 मीटर क्षेत्र में (2:100 नम) वृक्षारोपण एवं वृक्षारोपण को रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 2,10,000/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा।
 - परिस्थायी वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु आर्थार्थिक मॉनिटरिंग कार्य (Half yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्धायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
- IV. इन्धायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्य हेतु कुल राशि 4,50,000/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुए, क्लस्टर हेतु पांच वर्षों का कॉमन इन्धायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उक्त प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु पांच वर्षों का व्यक्तिगत (Individual) इन्धायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

22. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

23. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु निम्न पैरामीटरों के आधार पर गणना कर क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) प्रस्तुत किया गया है-

$$EC = PI \times N \times R \times S \times LF$$

Where

EC - Environmental compensation in Rs

PI - Pollution Index of Industrial Sector

N - Number of days of violation took place

R - a Factor in Rs. For EC

S - Factor for scale of operation

LF - Location Factor

$$\text{Environment Compensation} = PI \times N \times R \times LF \times S$$

$$\text{No of days(N)} = 74$$

Environment Compensation = $80 \times 74 \times 100 \times 0.5 \times 0.5 = \text{Rs. } 1,48,000/-$

ii. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/05/2020 को सम्पन्न 322वीं बैठक में Environmental Compensation के अंकालन की Methodology हेतु लिए गये निर्णय के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत रेमेडिएशन प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 1,48,000 की गणना को मान्य किया गया।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 1,48,000/- रुपये का उपयोग किये जाने हेतु उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. उपरोक्त विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोपिनिक्स मिमरल क्षेत्र में विद्यमान खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. कार्यालय क्लस्टर (खनिज कारखाना) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनामत प्रमाण पत्र की अद्यतन / पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. मू-जल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाए।
6. लीज सीमा की केंद्रता पृथि्वी एवं मू-स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
7. क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु पांच वर्षों का कॉम्प्लेक्स इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उस प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु पांच वर्षों का व्यक्तिगत (Individual) इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।
8. लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर क्षेत्र (सॉफ्टी जॉन) के कुछ भाग उत्खनित है एवं इस क्षेत्र के उपचार उपायों (Remedial Measures) एवं रिजर्व्स की विस्तृत गणना को

सम्बन्ध करके हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

9. जारी टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 11, 16, 24, 25, 27 एवं 36 की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
10. जारी टी.ओ.आर. में अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 8 के अनुसार शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
11. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation को रूप में रशि 1,48,000/- रुपये निर्धारित की गई। इसका उपयोग आस-पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवीटर हार्जिस्टिंग व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवाह खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।
12. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर 1,48,000/- रुपये की बैंक नारटी एवं समयबद्ध कार्ययोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर में प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।
13. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
14. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स छापरभानपुरी साईम स्टोन माईनिंग (प्रो.- श्री बुधराम करवप, आदिवासी हरिजन समिक स्टोन क्रशर को-ऑपरेटिव सोसायटी), घाम-छापरभानपुरी, तहसील-तोकापाल, जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 707)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 74578/2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन/83531/2018, दिनांक 28/05/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाइनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघालित घूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान घाम-छापरभानपुरी, तहसील-तोकापाल, जिला-बस्तर स्थित खरास क्रमांक 1200(पार्ट), कुल क्षेत्रफल - 0.813 हेक्टेयर में है। खदान की आगेवित्त उत्खनन क्षमता - 10,000 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 25/08/2019 द्वारा प्रकरण बी-1 कॉटेनरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्न्स ऑफ रिफरेंस (टी.ओ.आर.) फॉर ई.आई.ए./ई.एन.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में बर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टी.ओ.आर. (साल चुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 376वीं बैठक दिनांक 16/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल पत्र दिनांक 16/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 17/06/2021 को आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अमान्य किया गया।

समिति द्वारा उत्तमगंध सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 11/06/2021 के परिपेक्ष्य की वरिष्ठ जानकारी एवं समस्या सुसंगत जानकारी / परतावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कुचराम कश्यप, प्रोपर्टी डेवलपर सलाहकार के साथ में मेसर्स ओवरशीस माईन-टेक कन्सलटेन्ट्स की ओर से डॉ. अंजली इरीभाउत पाषाण विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

i. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

ii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2698/खनिज/स.लि.02/खनिज/2018 जगदलपुर, दिनांक 13/12/2018 के अनुसार वर्षवार उत्पादन का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार-

वर्ष	उत्खनन मात्रा (टन)
28/11/2002 से 30/12/2002	130
01/01/2003 से 11/11/2003	506
05/03/2004 से 20/12/2004	250
09/02/2005 से 13/12/2005	834
21/04/2006 से 21/12/2006	226
01/01/2007 से 29/01/2007	24
06/01/2008 से 04/04/2008	114

iii. उत्खनन कार्य वर्ष 2008 से बंद है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत छापरमानपुरी का दिनांक 29/01/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - मोडिफाइड माइनिंग प्लान एण्ड प्रोपेसिव माइन वलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान भूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक बस्तर/सूप/खमी-1154/2018/रायपुर/1411, दिनांक 18/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2427/खनिज/ख.सि.1/छ.प./2018 जगदलपुर, दिनांक 16/10/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानों, क्षेत्रफल 6.05 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विधायकीय खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ईआईए मोडिफिकेशन 2006 (पष्ठा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस समूह खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनेरल क्षेत्र में विधायकीय खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को यही तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मत्पट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बाँध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. लीज का विवरण - लीज श्री सुधराम करण्य के नाम पर है। लीज वीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 04/09/2002 से 03/09/2022 तक की अवधि हेतु रीज है।
7. मू-स्वामित्व - मू-स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - वन महालायिकारी, बस्तर वनमंडल, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक /मा.पि./149 जगदलपुर, दिनांक 07/01/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1.3 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी ग्राम-छापरमानपुरी 1 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम-छापरमानपुरी 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 17 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 50 कि.मी. दूर है। इन्द्रावती नदी 1.5 कि.मी. है।

11. पारिस्थितिकीय/जीवविक्रियता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविक्रियता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जिपसोलॉजिकल रिजर्व 1,04,732 टन एवं माइनेबल रिजर्व 83,687 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का कुल क्षेत्रफल 0.286 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। बेच की ऊंचाई 2 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्वारर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं स्टास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
2017-18	-
2018-19	8,305
2019-20	8,782
2020-21	8,782
2021-22	9,750

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.015 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टीकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बावजूद ग्राम पंचायत का अनुमति प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,433 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – पश्चिमी दिशा में (NW & SW) बाउण्ड्री में 7.5 मीटर नहीं छोड़ा गया है तथा उत्खनन वर्तमान स्थिति में 7.5 मीटर में भी सक्रिय क्षेत्र में 5 मीटर तक किया गया है। अर्थात् उत्तरी-पश्चिमी एवं दक्षिणी-पश्चिमी दिशा में बाउण्ड्री में 7.5 मीटर चौड़ाई में 5 मीटर तक उत्खनन कर लिया गया है। इस 7.5 मीटर उत्खनित क्षेत्र को पूर्व में रखे मलबे/रीजेक्ट से भरा जाएगा तथा वृक्षारोपण किया जाएगा। अतः प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण शेष 7.5 मीटर क्षेत्र में किया जाएगा तथा सक्रिय क्षेत्र में भराव उपराल प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण किया जाएगा।
16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-
 - i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2019 से मई, 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 7 स्थानों पर परिदृश्यीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता

माधन, 7 स्थानों पर ध्वनि स्तर माधन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 7 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.₁₀ 19.14 से 32.44 माईक्रोग्राम/घनमीटर पी.एम._{2.5} 50.14 से 65.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर एएसओ, 8.14 से 14.91 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 9.82 से 16.82 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।
 - iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।
 - iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 47.8 डीबीए से 63.4 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 42.2 डीबीए से 58.6 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।
17. लोक सुनवाई दिनांक 11/01/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान - प्रेरणा हॉल, जिला कार्यालय, जगदलपुर, जिला-बस्तर में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई प्रशासक सदस्य समित, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 08/02/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।
18. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- i. खदानों से डस्ट उत्सर्जन होता है।
- ii. पानी की व्यवस्था, मजदूरों की स्वास्थ्य बीमा आदि की व्यवस्था नहीं है।
- iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपनिधित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- i. डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाएगा।
- ii. खदान बंद होने पर आवश्यक जल की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही नियमानुसार मजदूरों की स्वास्थ्य बीमा कराई जाएगी।
- iii. शिक्षित कर्मीजनों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

19. क्लरटर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान- कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

- i. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव 0.76 कि.मी. तक पहुँच मार्ग हेतु अनुमानित राशि 1,80,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा। आगामी सात वर्षों के लिए डस्ट सफ़ाई हेतु अनुमानित राशि 1,80,000/- प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।
- ii. शासकीय प्राथमिक शाला, ग्राम-छापरभानपुरी में 9m वॉटर हावैसिटीय हेतु अनुमानित राशि 1,14,370/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा।

20. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी-

- i. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड में उत्पन्न धूल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 0.78 कि.मी. तक पहुँच मार्ग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- ii. राब के (0.78 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (1,433 नग) वृक्षारोपण एवं वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 2,15,000/- प्रथम वर्ष में एवं आगामी चार वर्षों में अनुमानित राशि 1,43,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- iii. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट हेतु अनुमानित राशि 90,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुए, क्लस्टर हेतु पांच वर्षों का कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उस प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु पांच वर्षों का व्यक्तिगत (individual) इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आइ.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खानन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुए, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संघालक, संघालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इटावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
32.7	2%	0.65	Following activities	at

			Government Primary School, Village-Chapperbhanpuri
		Potable Drinking Water Facility with AMC for 5 year	0.35
		Running water facility for Toilets	0.30
		Total	0.65

समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि उक्त शासकीय स्कूल में पीने योग्य पानी एवं रनिंग वॉटर की व्यवस्था पूर्व से ही है। अतः समिति द्वारा रनिंग वॉटर इन्फ्रस्ट्रक्चर की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (संघीय संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पदों के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनेरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को यहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. जल आपूर्ति हेतु घाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. मू-स्वामित्व संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जावे।
5. क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुए, क्लस्टर हेतु पांच वर्षों का कॉर्पोरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उस प्लान में परियोजना प्रस्तावक की स्वतंत्रता हेतु पांच वर्षों का व्यक्तिगत (Individual) इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव मूल विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. मेरस पथराकुण्डी साईम स्टोन माईन (प्रो.- श्री अयोधेश जैन), ग्राम-पथराकुण्डी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 580)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/सीजी / एमआईएन/ 63690/2017, दिनांक 16/04/2017 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन/63690/2018, दिनांक 05/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघालित नुना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम-पथराकुण्डी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर स्थित वासरा क्रमांक 314/2 एवं 315/2 कुल क्षेत्रफल-7.044 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-94,500 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/12/2018 द्वारा प्रकरण बी-1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तैयार, 2016 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्न्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज निस्कारिंग इन्वायरमेंट क्लीयनेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 18/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल पत्र दिनांक 18/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुसूच्य किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुसूच्य को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 11/06/2021 के परिपेक्ष्य की संचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अयोधेश जैन, प्रोपराइटर सलाहकार के रूप में मेरस ओलरशीस माईन-टेक कंसल्टेंट्स ली.ओर से डॉ. अंजली हरिनाथ सावाने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 314/2 एवं 315/2, कुल क्षेत्रफल- 7,044 हेक्टेयर, क्षमता-5,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 27/10/2009 को जारी की गई। यह स्वीकृति 5 वर्ष (Five Commissioning of mine operation) तक की अवधि हेतु जारी की गई है।
- क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर के ज्ञापन दिनांक 05/03/2018 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के धारण में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2008-09	2,223.75
2009-10	2,223.75
2010-11	3,890.62
2011-12	3,890.62
2012-13	5,555.62
2013-14	निरंक
2014-15	
2015-16	
2016-17	37,800
2017-18	37,800

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। उक्त के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज) जिला-रायपुर के पत्र क्रमांक 3010/टीन-8/अप 11/07 रायपुर दिनांक 03/11/2011 एवं पत्र क्रमांक 1388/टीन-8/अप 11/07 रायपुर दिनांक 20/09/2012 प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार ग्राम पंचायत के मदेशी की संख्या के अनुरूप आवश्यक घराई रकबा 40 हेक्टेयर भूमि सुरक्षित होना बताया गया है। ग्राम में शासकीय वन से भी सतह का निस्तार मिलता है तथा इस प्रकार ग्राम में घराई रकबा 115,984 हेक्टेयर है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में खनिज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये बिना जीज आवंटित की गई है तथा राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति भी जारी की गई है।
- उत्खनन योजना - रीव्यू ऑफ माइनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान (Review of Mining Plan and Progressive Mine Closure Plan) प्रस्तुत किया गया है जो क्षेत्रीय खान निरीक्षक, भारतीय खान ध्यूरे, रायपुर के पत्र क्रमांक रायपुर/चूप/खमो/1143/2017-रायपुर/177, दिनांक 27/04/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ड्रापन क्रमांक/क/खनिज/2018/क्यू रायपुर दिनांक 01/10/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. लीज का विवरण - लीज श्री अकोक जैन के नाम पर है। लीज बीड-20 वर्ष अर्थात् दिनांक 02/05/2008 से 01/05/2028 तक की अवधि हेतु वैध है।
6. भू-स्वामित्व - भू-स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वन सहायक/रायपुर सामान्य वनमंडल, जिला-रायपुर के ड्रापन क्रमांक/मा.वि./रा/635 रायपुर दिनांक 27/08/2008 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 1 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय ग्राम-पमराहुण्डी 0.45 कि.मी. एवं अस्पताल खरोरा 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 377 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.47 कि.मी. दूर है। छोटा नाला 0.2 कि.मी. एवं कलहारी संरक्षित वन 1 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, वन्यजीव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोइन्टुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिब्रोलैजिकल रिजर्व 49,16,420 टन एवं माईनेबल रिजर्व 14,72,793 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का कुल क्षेत्रफल 10,095 वर्गमीटर है। ओपन कार्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,000 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बीच की ऊंचाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर है। खदान की सम्भावित आयु 15 वर्ष है। लीज क्षेत्र में बंजर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षावर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
2018-19	94,500
2019-20	94,500
2020-21	94,500
2021-22	94,500
2022-23	94,500



12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न शिफ्टों/कलाओं (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति द्रव्य वेत के माध्यम से की जाती है। इस बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. **प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पेयजल की आपूर्ति द्रव्य वेत के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में उनको द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रस्तावित द्रव्य वेत सार्वजनिक है अथवा निजी?**
- यदि स्थित द्रव्य वेत लीज क्षेत्र के भीतर अथवा अन्य स्थल पर व्यक्तिगत हो तो सू-जल की उपयोक्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
 - यदि द्रव्य वेत सार्वजनिक हो तो जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 6.048 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-**
- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2019 से मई, 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर सू-जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 1 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
 - मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम₁₀ 21.36 से 32.18 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम_{2.5} 50.26 से 68.72 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 8.14 से 11.82 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ₂ 8.56 से 15.62 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुकूल है।
 - परियोजना स्थल को आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।
 - परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 45.8 डीबीए से 64.2 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 40.8 डीबीए से 59.8 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुकूल है।
17. **लोक सुनवाई दिनांक 18/11/2020 दोपहर 12:00 बजे स्थान** – पंचायत भवन, ग्राम पंचायत भकवाडीह कला, तहसील-तिला, जिला-रायपुर में संपन्न हुई।



लोक सुनवाई वस्तावेज सदस्य सचिव, छातीसंगड़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 08/01/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- i. पर्यावरण की सुरक्षा हेतु व्यवस्था एवं सड़क निर्माण किया जाए।
- ii. मजदूरी की स्वास्थ्य की जांच की व्यवस्था की जाए।
- iii. खदान के डस्ट उत्सर्जन से फसलों को नुकसान होगा।
- iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार (उचित मजदूरी दर पर) दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपरिष्ठत प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- i. खदान के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। कंट्रोल स्टासिंग एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी।
 - ii. मजदूरी के समय-समय पर स्वास्थ्य संबंधी विविधताय परीक्षण किया जाएगा।
 - iii. खदान में डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाएगा।
 - iv. शिक्षित बेरोजगारी को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार (शासन द्वारा निर्धारित दर पर मजदूरी प्रदान की जाएगी) हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।
19. इन्फ्रायरोमेटल मैनेजमेंट प्लान- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्वार्टर में कोई खदान नहीं आती है। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित खदान द्वारा इन्फ्रायरोमेटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। इन्फ्रायरोमेटल मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-
- i. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एग्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए जल छिड़काव हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
 - ii. गांव के पहुँच मार्ग के दोनों तरफ में (5,048 मग) वृक्षारोपण एवं वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 7,57,000/- प्रथम वर्ष में तथा आगामी चार वर्षों में अनुमानित राशि 9,07,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
 - iii. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्फ्रायरोमेट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
 - iv. सड़कों के सधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 97,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।



V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्य क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
88.11	2%	1.75	Following activities at Government Primary and Middle Schools, Village-Pathrakundi	
			Rain Water Harvesting System in Government Primary School Village-Pathrakundi	0.855
			Rain Water Harvesting System in Government Middle School Village-Pathrakundi	0.915
			Total	1.770

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. भू-स्वामित्व संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. उपरोक्त विवरण को स्पष्ट करते हुये पेयजल आपूर्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. कार्यालय कक्षकक्ष (खनिज हाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में सदिर, मरुभट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तयानुसार सूचित किया जाए।

1. मेसर्स सियादेही शिक अर्ध बवारी एण्ड शिक किल्ल प्रोजेक्ट (प्रो.— श्री
शमचन्द चक्रवर्ती), ग्राम—सियादेही, तहसील—नगरी, जिला—धमतरी
(सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1537)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/
194751/2021, दिनांक 24/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (मीण खनिज) खदान एवं
शिक घिननी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम—सियादेही, तहसील—नगरी,
जिला—धमतरी स्थित खपरा क्रमांक 08, कुल क्षेत्रफल — 2.44 हेक्टेयर में प्रस्तावित
है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता — 890 घनमीटर (10,01,250 मग) प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय
सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. मू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण
प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात
निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई
है, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन
में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही
पूसाचरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान पूर्व से संयोजित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की
वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की
जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण
विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन
फोटोग्राफस) के साथ प्रस्तुतीकरण दिवस जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के डायन दिनांक
17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शमचन्द चक्रवर्ती, प्रोमटाईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती,
प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सियादेही का दिनांक 18/01/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एसांग विथ इन्व्हासमेंट मेनेजमेंट प्लान विथ प्रोपेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-स.ब. कार्कर के द्वारा क्रमांक 971/खनिज/उत्ख.मो.अनु./उप./2020-21 कार्कर दिनांक 11/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के द्वारा क्रमांक 58/खनिज/2021 धमतरी दिनांक 20/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरक है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के द्वारा क्रमांक 58/खनिज/2021 धमतरी दिनांक 20/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के द्वारा क्रमांक 1834/खनिज/उत्खनिज/2020 धमतरी दिनांक 28/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है।
6. भू-स्वामित्व - भूमि श्री राममिलन, श्री रामचन्द्र एवं श्री रामकान्त के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला-धमतरी के द्वारा क्रमांक/मा.वि./जी/4004 धमतरी दिनांक 25/09/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-सियादेही 1.8 कि.मी, स्कूल ग्राम-सियादेही 1 कि.मी, एवं अस्पताल धमतरी 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परिगणना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आंतरज्तीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अणुचरण, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोइन्टुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खनन संधदा एवं खनन का विवरण - जिबोलॉजिकल रिजर्व लगभग 48,800 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 42,300 घनमीटर एवं रिजर्वेबल रिजर्व 40,185 घनमीटर प्रतिवर्ष है। लॉज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 690 वर्गमीटर है। ओपन कार्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन की जाएगी। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 1 मीटर है।

की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.187 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु नदवा (किल्ट) प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर होगी। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फलाई ऐश का उपयोग की जाएगी। खदान की सेनावित आयु 30 वर्ष है। एक लाख ईट निर्माण हेतु 18 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार प्रस्तावित वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	890
द्वितीय	890
तृतीय	890
चतुर्थ	890
पंचम	890

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
छाठम	890
सप्तम	890
अष्टम	890
नवम	975
दशम	980

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
13. **दुष्प्राशय कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में दुष्प्राशय किया जाएगा।
14. **पूर्य में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:- इस खदान को पूर्य में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समझ विस्तार से वर्षा उपसात निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30.3	2%	0.61	Following activities at Government Primary School, Village – Siyadahi	
			Rain Water Harvesting	0.35

			System	
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Plantation	0.15
			Total	0.65

16. समिति के संज्ञान में लब्ध आया कि प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में दर्शित सेकेण्ड फाइटव ईयर प्लान में 975 एवं 890 घनमीटर उत्खनन प्रस्तावित किया गया है, जबकि आवेदन में प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन 890 घनमीटर बताया गया है। इसी प्रकार ईट उत्पादन हेतु 50 प्रतिशत पत्ताई एग मिलाना जाना प्रस्तावित किया गया है, जिससे ईट उत्पादन हेतु कुल रॉ-मटेरियल 1,335 घनमीटर होता है। उक्त रॉ-मटेरियल से अधिकतम 7,00,000 नग ईट का उत्पादन किया जा सकता है, जबकि आवेदन में प्रस्तावित ईट उत्पादन 10,01,250 नग बताया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में त्रुटि है। अतः उपरोक्तानुसार संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में दिये विवरण अनुसार मिट्टी उत्खनन एवं ब्रिक्स निर्माण की विस्तृत गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. ब्रिक्स निर्माण हेतु आवश्यक कोयले की मात्रा के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्ति होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., उत्तारगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/05/2021 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 21/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. सीडिकोर्डेड क्वारी प्लान एसांग किंग इन्फ्रार्मेट मैनेजमेंट प्लान किंग प्रोपेसिड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उ.व. कार्पोर के ज्ञापन क्रमांक 74/खनिज/उत्ख.पौ.अनु./मिट्टी/ 2021-22 कार्या, दिनांक 29/05/2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार 8,90,000 नग ब्रिक्स के निर्माण हेतु 890 घनमीटर मिट्टी एवं 890 घनमीटर पत्ताई एग की आवश्यकता होगी।
2. ब्रिक्स निर्माण हेतु आवश्यक कोयले की मात्रा के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. द्विस्त निर्माण हेतु आवश्यक कोयले की मात्रा के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स श्री निरीश देवांगन (सेमरा वी रोड गाईन, ग्राम-सेमरा (वी), तहसील-मगरलौड, जिला-धमतरी), ग्राम-बर्वा, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1366)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 165951/2020, दिनांक 27/08/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/08/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्रित जानकारी दिनांक 30/08/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित रेत खदान (नौप खनिज) है। यह खदान ग्राम-सेमरा (वी), तहसील-मगरलौड, जिला-धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 01, गुज लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में है। उत्खनन खासून नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-19,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दीना और) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

af

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इकाई अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उल्लंघन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि सीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो तो उपरोक्त अवकाश पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।
5. रेत उल्लंघन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पध्दतमा भी प्रस्तुत किया जाये।
6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही इकाई/पत्र की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
7. विगत वर्षों में किए गए उल्लंघन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

समानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 344वीं बैठक दिनांक 05/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 05/11/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी / दस्तावेज अपूर्ण होने के कारणों से समिति के सम्बन्ध बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 06/11/2020 के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अमान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई बांछित जानकारी एवं समस्त सुरंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निरीक्षक देवांगन, प्रोपरइंटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौ, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — रेल उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेमरा(बी) का दिनांक 09/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्हाकित/सीमाकित — कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्हाकित/सीमाकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना — माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उ.प्र. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 308/ खनिज/ उत्ख.यो.अनु/ रेल/ 2020-21 कांकेर दिनांक 07/07/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1018/खनि/म.क्र./2020 धमतरी, दिनांक 01/07/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेल खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1087/खनिज/म.क्र./2020 धमतरी, दिनांक 23/07/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. श्री निरीक्षक देवांगन के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 198/खनिज/निविदा/2020 धमतरी, दिनांक 04/02/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु सक्षम प्राधिकारी (खनिज विभाग) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वैध एल.ओ.आई. की प्रति शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आकादी ग्राम-सेमरा 1 कि.मी. स्कूल ग्राम-सेमरा 1 कि.मी. एवं अस्पताल कुरुद 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 13 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 200 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम एवं एनीकट 200 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित मिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संबंधित क्षेत्र का घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

10. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 224 मीटर न्यूनतम 99 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई - 728 मीटर एवं औसत चौड़ाई - 52 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी 15 मीटर है। प्रस्तावित खनन क्षेत्र की वास्तविक लंबाई एवं चौड़ाई (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा - 19,800 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत सोमरा(बी) के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 01, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता- 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण, जिला-धनगढ़ी द्वारा दिनांक 07/03/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। सादर अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धनगढ़ी के द्वारा क्रमांक 1498/खनिज/उत्ख.मात्रा/2020 घनगढ़ी, दिनांक 15/09/2020 के अनुसार वर्ष 2018-19 में 6,340 घनमीटर उत्खनन किया गया है।
- निर्धारित शर्तानुसार नुसारोपन नहीं किया गया है।

13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण्डा 25 मीटर के त्रिज बिन्दुओं पर दिनांक 07/10/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. गैर माईनिंग क्षेत्र -

- नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 224 मीटर, न्यूनतम 99 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी 15 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत = 25 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 6,000 घनमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

ii. पुल खदान से 200 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम एवं एनीकट 200 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है। नये माइक्रोलाईन अनुसार पुल/एनीकट अपस्ट्रीम/ डाउनस्ट्रीम में स्थित होने के कारण खदान से पुल की दूरी कम से कम 500 मीटर एवं 250 मीटर होना आवश्यक है। अतः पुल की तरफ से खदान से 300 मीटर एवं एनीकट की तरफ से खदान से 50 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबन्धित किया गया है। उपरोक्तानुसार माइनिंग प्लान अनुसार 14,200 वर्गमीटर गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है।

iii. उपरोक्तानुसार माइनिंग प्लान में कुल गैर माइनिंग क्षेत्र 20,200 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के आसपास 1.58 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

15. माइनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश/ देशांश (Latitude/ Longitude) एवं माइनिंग प्लान में दर्शित लीज क्षेत्र में भिन्नता है। उक्त भिन्नता के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. एल.ओ.आई की वेधता वृद्धि संकपी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. माइनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश/ देशांश (Latitude/ Longitude) एवं माइनिंग प्लान में दर्शित लीज क्षेत्र में भिन्नता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की वास्तविक लंबाई एवं चौड़ाई (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/01/2021 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 28/01/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

समिति द्वारा नसीब प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. एल.ओ.आई संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिज, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 4359/खनि02/रेत(रुला7)/न.ज. 38/1996 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 31/10/2020 द्वारा जारी की गई जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
2. माइनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश/ देशांश (Latitude/ Longitude) एवं माइनिंग प्लान में दर्शित लीज क्षेत्र में भिन्नता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 212 मीटर, न्यूनतम 88 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - 720 मीटर एवं

सीढ़ाई – अधिकतम 76 मीटर, न्यूनतम 33 मीटर लंबाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 38 मीटर, न्यूनतम 5 मीटर है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश/ देशांश (Latitude/ Longitude) एवं माईनिंग प्लान में दर्शित लीज क्षेत्र में मिन्मता के संबंध में सिधति स्पष्ट करते हुए जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आनामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 23/02/2021 एवं 30/03/2021 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 21/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश/ देशांश (Latitude/ Longitude) एवं माईनिंग प्लान में दर्शित लीज क्षेत्र में मिन्मता के संबंध में सिधति स्पष्ट करते हुए माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उ.ब. काकोर के ज्ञापन क्रमांक 1027/खनिज/कख.पौ.अनु./रा/2020-21 काकोर, दिनांक 25/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।
2. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से यथा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
42.9	2%	0.85	Following activities at Nearby Government High School, Village-Semra	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Running Water Facility for Toilets	0.20
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Plantation	0.15
Total			0.85	

3. गैर माईनिंग क्षेत्र –

1. नदी के घाट की सीढ़ाई अधिकतम 212 मीटर, न्यूनतम 88 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी अधिकतम 38 मीटर, न्यूनतम 5 मीटर है। नदी

दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। संशोधित माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत = 22 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 3,000 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

- ii. पुल खदान से 200 मीटर की दूरी पर अपरस्ट्रीम एवं एनीकट 200 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है। नये पाइपलाइन अनुसार पुल/एनीकट अपरस्ट्रीम/ डाउनस्ट्रीम में स्थित होने के कारण खदान से पुल की दूरी कम से कम 500 मीटर एवं 250 मीटर होना आवश्यक है। अतः पुल की तरफ से खदान से 300 मीटर एवं एनीकट की तरफ से खदान से 50 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान अनुसार 17,020 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।
- iii. उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान में कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 20,020 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 1,99 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
4. रेत उत्खनन मैन्युअल विधि से एवं भरवाई का कार्य लीडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं उत्संबंधी जांचों का समावेश नहीं किया गया है। खारून नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (ग्राम-शेमरा(बी)) का रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. **सुक्षारोपण कार्य** — प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 नग पौधे — 1,000 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,000 नग (जामुन, करज, बांस आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पट्टी मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** —

1. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही पिठ बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपरस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट

(दीनों और) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं पर किया जाएगा।

- ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े वित्तम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जाएंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से श्री गिरीश देवांगन, सेनरा की रोपड माईन, खसरा क्रमांक 01, ग्राम-घरई, तहसील-कुरुद, जिला-धमारी, कुल लीजा क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में से रेत माईनिंग क्षेत्र 20,020 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 1.99 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 19,900 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों को अंतिम दिदे जाने की अनुसंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीजा क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
6. रेत माईनिंग क्षेत्र एवं अंतर्राष्ट्र माईनिंग क्षेत्र का नोके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरोक्त ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
7. आवेदक द्वारा प्री-मानसून 2021 का सर्वे नहीं किया गया है। अतः रेत उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित गिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का पोस्ट-मानसून सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस. ई.आई.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात नियंत्रण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स श्री नरेश कुमार अग्रवाल (डोभापानी आर्टिजनी स्टोन बवारी), ग्राम-डोभापानी, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (सचिवालय का नरती क्रमांक 1573)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएम / 200119 / 2021, दिनांक 28 / 02 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गीण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-डोभापानी, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 690 / 512, कुल क्षेत्रफल-1.24 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-13,506 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24 / 03 / 2021:

समिति द्वारा प्रकल्प की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित कर्तों के फालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पृथारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व में संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / एन्वायेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(4) समिति की 367वीं बैठक दिनांक 04/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री साहित अली, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जामपानी का दिनांक 14/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - न्यारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के पृष्ठापन क्रमांक 267/खनिज/उत्ख.मौ.अनु./2020 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 15/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के आपन क्रमांक 258/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 15/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.22 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के आपन क्रमांक 259/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 15/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, पुलिया, रेल लाईन, नहर, स्कूल, बांध, एनीकॉट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के आपन क्रमांक /3705/खनिज/उ.प./कोनापानी/2020



कोरिया बैकुण्ठपुर दिनांक 24/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी कमत जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

6. भू-स्वामित्व – भूमि श्री विष्णु प्रसाद के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./5740 बैकुण्ठपुर, दिनांक 03/09/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 0.89 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-डोभापानी 2.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-डोभापानी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल बैकुण्ठपुर 9.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9.5 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतियेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,34,800 टन, माइनेबल रिजर्व 1,69,830 टन एवं रिक्वैरेबल रिजर्व 1,61,338 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,525 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 4,185.5 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर पुनरापन के लिए उपयोग किया जाएगा। बेस की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ऊपर स्थापित किया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं इन्स्टिटिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,507
द्वितीय	13,507
तृतीय	13,507
चतुर्थ	13,507
पंचम	13,507

आगामी वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठम	13,507
सप्तम	13,507
अष्टम	13,507

(Handwritten Signature)

नवम	13.507
दशम	13.507

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के टैंकर के माध्यम से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावेगा।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 880 मग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40.4	2%	0.81	Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Dobhapani	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Running Water Facility for Toilets	0.25
			Plantation with Fencing	0.10
Total			0.85	

प्रस्ताव का पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एवं पेय जल हेतु प्रस्तुत अनुमानित राशि कम प्रतीत होती है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
17. **समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में वृक्ष स्थित हैं**, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त क्षेत्र में कुल 5-6 वृक्ष हैं। सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरान्त आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई की जाएगी। अनुमोदित माईनिंग प्लान में वृक्षों का उल्लेख नहीं किया गया है। उपरोक्त को समावेश कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 21/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर यह पाया गया कि

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 761/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 31/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित लीज क्षेत्र के भीतर कुल 15 नग (महुआ 8 नग, आम 1 नग, परदा 5 नग एवं बांस 1 नग) पीछे अवस्थित है। आधारभूत अनुसार उक्त वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरोक्त ही की जाएगी। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।
2. प्रस्तावित लीज क्षेत्र के भीतर अवस्थित कुल 15 नग पीछे का उल्लेख करके अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
3. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत झुहापानी का दिनांक 26/04/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।
5. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 185 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 258/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 15/02/2021 के

अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान क्षेत्रफल 1.22 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घाम-डोभापानी) का रकबा 1.24 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-डोभापानी) को मिलाकर कुल रकबा 2.46 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

- समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेरस श्री नरेश कुमार अग्रवाल (डोभापानी आर्डिनरी स्टोन क्वारी) की घाम-डोभापानी, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के खसरा क्रमांक 590/512 में स्थित साधारण पत्थर (मीण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.24 हेक्टेयर, क्षमता - 13,506 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

- मेरस श्री संदीप कुमार गुप्ता (जामपानी आर्डिनरी स्टोन क्वारी), घाम-जामपानी, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1578)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एनआईएन / 200728 / 2021, दिनांक 02 / 03 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (मीण खनिज) खदान है। खदान घाम-जामपानी, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 384, कुल क्षेत्रफल-1.46 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-13,737.6 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24 / 03 / 2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
- यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करत कर प्रस्तुत की जाए।
- सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।



4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) को साथ प्रस्तुतीकरण दिवस जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमांक दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 367वीं बैठक दिनांक 04/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी साहित्य अती, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जामपानी का दिनांक 12/03/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 320/खनिज/उत्ख.योजना/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 17/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 322/खनिज/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 17/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक होना बताया गया है, जबकि प्रस्तुत KML File के अनुसार 240 मीटर में 1 अन्य खदान होना पाया गया।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 323/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 17/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, पुलिस, रेल लाईन, नहर, स्कूल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण — भूमि आवेदक के नाम पर है, जिसमें एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 3488/खनिज/उ.प./जामपानी/2020 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 17/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
6. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./3330 बैकुण्ठपुर, दिनांक 29/05/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 0.7 कि.मी. की दूरी पर है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी ग्राम-जामपानी 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-जामपानी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल बैकुण्ठपुर 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.5 कि.मी. दूर है।

9. पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलाजिकल रिजर्व 2,36,520 टन, साईनेबल रिजर्व 1,40,470 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,33,446 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,800 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट रोमो मेकैनाईज्ड डिभि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 4,999.5 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेस की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं मोटाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्लार स्थापित किया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं स्टास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,515
द्वितीय	13,547
तृतीय	13,681
चतुर्थ	13,701
पंचम	13,701

आगामी वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठम	13,702
सप्तम	13,709
अष्टम	13,717
नवम	13,729
दशम	13,738

नोट: तालिका में दशमवर्ष के बाद के अंकों को राउण्डऑफ़ किया गया है।

11. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के टैंकर के माध्यम से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनामतित प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।
12. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. कौन्सिल्ट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

गया है। जिसमें केवल विद्यार्थीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस वादुश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विद्यार्थीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को यहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

2. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत जामपानी का दिनांक 18/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में दिये विवरण अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स श्री राजा बाबू साहू (कुडेली आर्टिजनरी स्टोन क्वारी), ग्राम-कुडेली, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1579)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन /201008/2021, दिनांक 02/03/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित स्थावरण पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कुडेली, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 934 एवं 939, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-13,737.6 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

3. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित बना कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., उत्तरीखण्ड के पत्र एवं ई-मेल अमरा: दिनांक 08/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 367वीं बैठक दिनांक 04/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री साहिव अती, अधिकृत प्रतिनिधि विविधो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुहेली का दिनांक 28/02/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — वगैरह प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के आपन क्रमांक 243/खनिज/उत्ख.पी.अनु./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 12/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के आपन क्रमांक 245/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 12/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.24 हेक्टेयर (मिट्टी खदान) होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करती हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वही तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के आपन क्रमांक 244/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 12/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसी

- धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, नरसोट अस्पताल, स्कूल, पुल, पुलिस, रेल लाइन, नहर, स्कूल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण — एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के डायन क्रमांक 3709/खनिज/उ.प./कुडेली/2020 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 24/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
 6. भू-स्वामित्व — भूमि श्रीमती राजकुमारी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
 8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के डायन क्रमांक/मा.वि./2715 बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/04/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 0.75 कि.मी. की दूरी पर है।
 9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवासीय ग्राम-कुडेली 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-कुडेली 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-कुडेली 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. दूर है।
 10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
 11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण — जिपसोलॉजिकल रिजर्व 3,24,000 टन, साईनेबल रिजर्व 1,76,272 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,87,458 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,288 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सीमा मेकनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं मात्र 19,887.5 घनमीटर है, जिसमें 6,000 घनमीटर मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष मिट्टी को ईट निर्माण इकाई को विक्रय किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ऊपर स्थापित किया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं ब्लॉस्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,669
द्वितीय	13,511
तृतीय	13,507
चतुर्थ	13,547
पंचम	13,567

आगामी वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
सष्ठम	13,507
नवम	13,608
दशम	13,547
ग्यहम	13,527
दशम	13,738

नोट: तालिका में दशमसंव के बाद के अंकों को सारणिकृत किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के टैंकर के माध्यम से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनुरोधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावेगा।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. **पूर्य में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्य में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
66.13	2%	1.32	Following activities at Nearby Government High School, Village-Kudeli	
			Rain Water Harvesting System	0.80
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Running Water Facility for Toilets	0.25
			Plantation with Fencing	0.15
Total			1.35	

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में प्रस्तावित क्वारर का क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर है। परंतु प्रस्तुत माईनिंग प्लान में लीज क्षेत्र में प्रस्तावित क्वारर का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर बताया गया। अतः उक्त को लेण्ड यूज पैटर्न (Land use pattern) में समावेश करती हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।



18. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी को ईट निर्माण इकाई को विक्रय किये जाने के संबंध में तत्काल प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ईआईए नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदाखनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोडिनिविस मिन्सल क्षेत्र में विद्यमान खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वही तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से लीज क्षेत्र से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी को ईट निर्माण इकाई को विक्रय किये जाने के संबंध अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त माहित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तयानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/06/2021 के परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 21/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का आलोचन एवं परीक्षण करने पर यह पाया गया कि:

1. लैण्ड यूज पैटर्न (Land use pattern) में प्रस्तावित उत्तर का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर को समावेश करते हुये रिवाइज्ड कतारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 761/खनिज/उत्ख.यो.अनु./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 31/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 913/खनिज/उ.य./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 17/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 (मिट्टी खदान)

खदान क्षेत्रफल 1.24 होना बताया गया है, जिसमें क्षेत्रफल का मापक (एरिया यूनिट) दर्शित नहीं किया गया है, जिसमें केवल विद्यारथीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सवृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोडिभिडस मिनेरल क्षेत्र में विद्यारथीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को यहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से लीज क्षेत्र से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी को ईट निर्माण इकाई को विक्रय किये जाने के संबंध अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के दौरान निकलने वाली ऊपरी मिट्टी 13,867.5 घनमीटर में से 8,000 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.6 मीटर (नाईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए उपयोग तथा शेष 13,867.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को श्री विवेक राठीर एवं श्री मयंक राठीर की समीपस्थ भूमि पर स्वाम प्राधिकारी से अनुमति उपरोक्त भंडारित किया जायेगा। ऊपरी मिट्टी को भंडारित कर, वृक्षारोपण करने हेतु श्री विवेक राठीर एवं श्री मयंक राठीर से सहमति ली गई है। उक्त का सम्बंध संशोधित क्वारी प्लान में किया गया है।
4. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत कुंडली का दिनांक 09/04/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में दिये विवरण अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. मेजर श्री मणेश कुमार जायसवाल (रामनगर ब्रिक्स अर्थ ब्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिननी प्लॉट), ग्राम-रामनगर, तहसील व जिला-सुरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1425)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 179789/2020, दिनांक 26/10/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन ने कनिची होने से जापन दिनांक 28/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 08/01/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघालित मिट्टी उत्खनन (सीएनएल) खदान है। खदान ग्राम-रामनगर, तहसील व जिला-सुरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1259/2।
3. कुल क्षेत्रफल - 0.9 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 840.75 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 355वीं बैठक दिनांक 27/01/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति (सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिराजित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोशाफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षाटोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोशाफस सहित प्रस्तुत की जाए।
3. पिगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोशाफस) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 361वीं बैठक दिनांक 02/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामचन्द्र जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रामनगर का दिनांक 23/05/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र में सचिव का हस्ताक्षर नहीं है।
2. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान, इन्डियासेमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/908/खनिज/खलि2/2016 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 03/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/92/खनिज/2021 सुरजपुर, दिनांक 07/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.4 हेक्टेयर है।

4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के आपन क्रमांक/92/खनिज/2021 सुरजपुर, दिनांक 07/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, सरपंच, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकाट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. लीज का विवरण - लीज श्री गणेश कुमार जायसवाल के नाम पर है। लीज डीज 03 वर्षों अवधि दिनांक 18/09/2013 से 17/09/2016 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीज में 27 वर्षों की, दिनांक 18/09/2016 से 17/09/2043 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
6. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 1299/2 श्री उमाहाकर जायसवाल एवं खसरा क्रमांक 1299/3 श्री रामचन्द्र जायसवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जलिया सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के आपन क्रमांक/तक.अधि/3138 अम्बिकापुर, दिनांक 08/08/2012 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार अपेक्षित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 0.5 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-रामनगर 1.35 कि.मी., स्कूल ग्राम-रामनगर 1.35 कि.मी., एवं अस्पताल गोरखनाथपुर 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.6 कि.मी., एवं राज्यमार्ग 9 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पील्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रलियेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिपसोलॉजिकल रिजर्व लगभग 14,292 घनमीटर, गाईनेबल रिजर्व 9,187 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 8,268 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 398.01 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बंध की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु भट्ठा (किल्न) प्रस्तावित है, जिसकी किन्स विमनी की लंबाई 33 मीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-



वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	840
द्वितीय	840
तृतीय	835
चतुर्थ	841
पंचम	841

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
छठम	841
सप्तम	841
अष्टम	841
नवम	841
दशम	708

नोट: तालिका में दशमसंव के बाद के अंशों को सारणशुद्धीक किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर/ट्यूब वेल के माध्यम से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 78 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 1259/2 एवं 1259/3, कुल क्षेत्रफल- 0.9 हेक्टेयर, क्षमता-840.75 घनमीटर (4,51,550 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण, जिला-सुरजपुर द्वारा दिनांक 19/12/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-सुरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1114/खनिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 04/12/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
दिनांक 18/09/2013 से दिनांक 31/12/2013 तक	निरंक	निरंक
2014	1137.25	5,80,000
2015	1529.41	7,80,000
2016	803.92	4,10,000
2017	882.35	4,50,000

(Handwritten Signature)

2018	627.45	3,20,000
2019	623.52	4,20,000
2020 (दिनांक 30/09/2020 तक)	392.15	2,00,000

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से बर्षा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Government Primary School Adrapara, Village – Ramnagar	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.15
			Total	0.75

16. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षमता—840.75 घनमीटर (4,51,550 नग) प्रतिवर्ष हेतु जारी की गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-सुरजपुर के ज्ञापन दिनांक 04/12/2020 द्वारा वर्ष 2017 में 882.35 घनमीटर (4,50,000 नग) प्रतिवर्ष एवं इसी प्रकार वर्ष 2020 (दिनांक 30/09/2020 तक) में 392.15 घनमीटर (2,00,000 नग) प्रतिवर्ष उत्खनन किया जाना बताया गया है। जबकि पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18/12/2019 तक वैध थी। उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण को दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि दिनांक 19/12/2019 से उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में स्थान प्राधिकारी से प्रमाणिक जानकारी शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. ग्राम पंचायत के अनाथित प्रमाण पत्र की प्रति (सत्य व सचिव के हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष में) खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए। साथ ही यह स्पष्ट किया जाए कि वर्तमान में उत्खनन संचालित है अथवा बंद? यदि उत्खनन बंद है तो उत्खनन बंद होने की तिथि सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/03/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 28/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

समिति द्वारा मल्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति (सर्वपंच व सचिव के हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1114/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 04/12/2020 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्खनन (द्वितीय वर्ष में) की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. विगत वर्ष में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी वित्तीय वर्ष अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही पूर्व में इस संबंध में जो आंकड़े जिला ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक से प्रस्तुत किये गये थे, उसी ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक से वर्तमान में परिवर्तित आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। इस प्रकार एक ही ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक से निम्न-निम्न उत्खनन आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त विसंगतियों के संबंध में लेख करते हुए कलेक्टर को उचित कार्यवाही के लिए सूचित किया जाना आवश्यक है। साथ ही उपरोक्त के संबंध में संचालक, संचालनालय, भूमिहीन तथा खनिकर्मा, नया रायपुर अटल नगर को अवगत कराया जाना होगा।
4. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति (सर्वपंच व सचिव के सील एवं हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत की जाए।
2. कलेक्टर, जिला-सूरजपुर को एक ही क्रमांक एवं दिनांक द्वारा जारी दो अलग-अलग पत्रों के संबंध में जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विगत वर्ष में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी वित्तीय वर्षवार प्रेषित किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर, जिला-सूरजपुर एवं संचालक, संचालनालय, भूमिहीन तथा खनिकर्मा, नया रायपुर अटल नगर तथा परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स श्री संजय कुमार साहू (तिवरागुड़ी विस्त अर्थ ब्ले क्वारी एण्ड फिक्स थिन्नी प्लांट), ग्राम-तिवरागुड़ी, तहसील-रामानुजनगर, जिला-सुरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1426)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएम/ 174556/2020, दिनांक 20/10/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमिटी होने से आपन दिनांक 29/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा साक्षित जानकारी दिनांक 13/01/2021 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (भौम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-तिवरागुड़ी, तहसील-रामानुजनगर, जिला-सुरजपुर स्थित खदान क्रमांक 2451, कुल क्षेत्रफल - 1.48 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 1,140.95 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 9,51,974 नग) प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 355वीं बैठक दिनांक 27/01/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. नू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कता कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 22/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 02/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय कुमार साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत तिवरागुड़ी का दिनांक 25/01/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी ब्लोअर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-सुरजपुर के

आपन क्रमांक 3538/खनिज/2017 सूरजपुर, दिनांक 03/11/2017 द्वारा अनुमोदित है।

3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के आपन क्रमांक 1378/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 22/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के आपन क्रमांक 1378/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 22/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. लीज का विवरण - लीज श्री संजय कुमार साहू के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अवधि दिनांक 16/06/2018 से 15/06/2048 तक की अवधि हेतु है।
6. भू-स्वामित्व - भूमि श्री प्रभुदयाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला-सूरजपुर के आपन क्रमांक/मा.वि./5028 सूरजपुर, दिनांक 26/10/2015 से जारी अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-नकरदीपुर 0.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-नकरदीपुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल रामानुजनगर 5.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1145 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 138 कि.मी. दूर है। झिक नदी 12.85 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पील्डुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिब्रोलैजिकल रिजर्व 29,200 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 22,755 घनमीटर एवं रिकलरेबल रिजर्व 30,479 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 559.9 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की चौड़ाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु मरछा (किल्ल) स्थापित है, जिसकी फिक्टा विमनी की चौड़ाई 33 मीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 40 प्रतिशत फलाई एश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 18 वर्ष है। एक लाख ईट निर्माण हेतु 10 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु

जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,140
द्वितीय	1,140
तृतीय	1,140
चतुर्थ	1,140
पंचम	1,140

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
छथम	1,140
सप्तम	1,140
अष्टम	1,140
नवम	1,140
दशम	1,140

नोट: कालिका में वसुमलय के बाट के अंकों को सारण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस वारन्त ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
13. **वृक्षारोपण कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 279 नम वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 150 नम वृक्षारोपण किया गया है। शेष 129 नम वीथे आगामी मानसून के पूर्व रोपित किया जाएगा।
14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- i. पूर्व में निट्टी उत्खनन खदान खसरा क्रमांक 2451, कुल क्षेत्रफल-1.38 हेक्टेयर समता- 951.974 नम प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-सुरजपुर द्वारा दिनांक 06/02/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय करीकटर (खनि माखा), जिला-सुरजपुर के आपन क्रमांक 378/खनिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 22/12/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (नम)
2017	निरंक
2018	निरंक
2019	7,50,000 (1,470.58 घनमीटर)

(Handwritten signature)

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के लक्ष्य विस्तार से वर्षी उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38	2%	0.78	Following activities at Government Primary School, Village – kudaligara tiwaragudi	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation with fening	0.20
			Total	0.80

16. पूर्व में मिट्टी उत्खनन खदान क्षमता – 9,51,974 नग प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-सुरजपुर द्वारा दिनांक 06/02/2018 को जारी की गई है। इसके परिपेक्ष में कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-सुरजपुर के आपन दिनांक 22/12/2020 अनुसार वर्ष 2019 में 7,50,000 नग ईट का उत्पादन किया जाना बताया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि पूर्व में खदान से कितनी मात्रा में खनिज का उत्खनन किया गया है। उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्तमवय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को विगत वर्षों में किए गए उत्खनन (वित्तीय वर्ष) की वार्षिक मात्रा (मिट्टी उत्पादन) की जानकारी पूर्व में दिये गये विवरण अनुसार खनिज विभाग से प्राप्त संशोधित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एसईएसी, छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 31/03/2021 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 28/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

समिति द्वारा मस्टी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के आपन दिनांक 27/04/2021 सुरजपुर, दिनांक 01/04/2021 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	वास्तविक मिट्टी उत्खनन (घनमीटर)	वास्तविक ईट उत्पादन (नग)
2019	903	7,50,000
2020	निरंक	निरंक

2. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बंध नई दिल्ली द्वारा सस्पेंड पाण्डेय विलुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2016 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1378/खनिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 22/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-तिवरागुडी) का रकबा 1.48 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स श्री राजेश कुमार साहू (तिवरागुडी ब्रिक्स अर्थ कले डवारी एण्ड फिक्स विमनी प्लांट) की ग्राम-तिवरागुडी, तहसील-रामानुजनगर, जिला-सुरजपुर के खसरा क्रमांक 2451 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गोण खनिज) खदान एवं फिक्स विमनी ईट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल-1.48 हेक्टेयर, क्षमता - 1,140 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 9.51,974 नग) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-03 में वर्णित शर्तों को आगे के पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

- a. मेसर्स जिस्को इंटरप्राइजेस (प्री.- श्री भारत खंगटा, कलकत्ता साईन स्टोन साईन), ग्राम-कलकत्ता, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नक्सी क्रमांक 1168)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 142416/2020, दिनांक 12/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमिटी होने से ज्ञापन दिनांक 24/02/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पारित जानकारी दिनांक 09/01/2021 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गोण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कलकत्ता, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 229/2, 230/2, 231/2, 232, कुल क्षेत्रफल-1.258 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-40,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैतकों का विवरण -

(अ) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 27/01/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्समम सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), उत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अभिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्समम की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कन्ट कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., उत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 361वीं बैठक दिनांक 02/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी साकार संगटा, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्समम के संकेत में ग्राम पंचायत बल्लेसपुर का दिनांक 31/07/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्समम योजना - उचारी प्लान (इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान कम स्वीटी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/ख.लि./सीम-8/2017/993 रायपुर, दिनांक 13/11/2017 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - खनि निरीक्षक, जिला-राजनांदगांव द्वारा कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव को प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 12 खदानें, क्षेत्रफल 10316 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2749/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 26/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल एवं एभीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। साथ 72 मीटर दूर है।
5. लीज का विवरण - भूमि एवं लीज मेसर्स जिस्को इंटरप्राइजेस श्री भारत संगटा के नाम पर है। लीज बीड का हस्तांतरण मेसर्स जिस्को इंटरप्राइजेस श्री

भारत संगठन के नाम पर दिनांक 28/07/2014 को किया गया। लीज कीड 10 वर्षों अवधि के दिनांक 16/10/2007 से 15/10/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज कीड में 20 वर्षों की, दिनांक 16/10/2017 से 15/10/2037 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय इनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खैरामड, जिला-राजनांदगांव के डायन क्रमांक/मा.वि./3732 खैरामड, दिनांक 07/08/2007 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 8.5 कि.मी. की दूरी पर है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-कलकसा 0.25 कि.मी., स्कूल ग्राम-कलकसा 2 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-बल्देवपुर 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 26 कि.मी. दूर है। बांध 72 मीटर दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावना द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोइन्टुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जिबेल्जिकल रिजर्व 8,27,500 टन, माईनेबल रिजर्व 2,37,620 टन एवं रिजर्वेबल रिजर्व 2,13,305 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतीबन्धित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,833 वर्गमीटर है। औपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बंध की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ऊपर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हिमर से ड्रिलिंग एवं ब्लैस्टींग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	4,000
द्वितीय	4,000
तृतीय	4,000
चतुर्थ	4,000
पंचम	4,000

11. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति दयूब वेल्स के माध्यम से की जाती है।



12. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- पूर्व में कुना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 229/2, 230/2, 231/2, 232, कुल क्षेत्रफल-1.255 हेक्टेयर, क्षमता-12.125 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव को ज्ञापन क्रमांक 338/ख.लि.01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 01/02/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन
2014-15	14.760
2015-16	12.375
2016-17	7.741
2017-18	18634.65
2018-19	14.040
2019-20	33.811

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3.833 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से उत्तर दिशा एवं पूर्व दिशा के कुछ भाग उत्खनित है। उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

15. पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक उत्पादन - समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी विगत वर्षों में किये गये उत्खनन के संबंध में उत्पादन का मात्रक (उत्पादन यूनिट) नहीं दर्शाया गया है। साथ ही वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20 के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक उत्पादन किया गया है, जो कि उत्खनन का प्रकल्प होता है। अतः इस संबंध में खनिज विभाग से स्थिति स्पष्ट कहाना आवश्यक है। इसी प्रकार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी 200 मीटर प्रमाण पत्र अनुसार बांध 72 मीटर दूर स्थित होना बताया गया है, जबकि प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान से बांध की दूरी बहुत अधिक है। अतः इस संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र /दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कलेक्टर ने आने वाले अन्य खदानों के लिए बेसलाइन डाटा कलेक्शन का कार्य अक्टूबर, 2020 से दिसम्बर, 2020 के मध्य किया गया है। उक्त एकत्रित बेसलाइन डाटा

को ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने का अनुरोध किया गया। जिले समिति द्वारा मान्य किया गया।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीम कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 5(a)(ii) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माइन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 15 के विवरण अनुसार खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त की जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/03/2021 के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 28/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

समिति द्वारा नरसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निश्चयि पाई गई-

1. पूर्व में घुना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 229/2, 230/2, 231/2, 232, कुल क्षेत्रफल-1.255 हेक्टेयर, क्षमता-12.125 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। तत्पश्चात् उत्खनन क्षमता में वृद्धि कर क्षमता 40,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 29/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव को ज्ञापन क्रमांक 506/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 25/06/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2014-15	14,750
2015-16	12,375
2016-17	7,741
2017-18	18,834.68
2018-19	14,040
2019-20	33,811

04

3. कार्यालय तहसीलदार, खीरागढ़, जिला-राजनांदगांव के जापन क्रमांक 1428/तह. /कानूनगो/2019 खीरागढ़, दिनांक 23/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार बांध 72 मीटर दूर स्थित है तथा कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के जापन क्रमांक 2749/ख.ति.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 26/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खादान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकॉट एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं होना बताया गया है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों एवं छत्तीसगढ़ नौग खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार बांध से अतिरिक्त 50 मीटर नैर गार्डनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को विगत वर्ष 2017-18 में किए गए उत्खनन की माहवार वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स अविनाश डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (मारुति लाईफ स्टाईल टावर), ग्राम-कोटा, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1305)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएस / 153845/2020, दिनांक 21/06/2020।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-कोटा, तहसील व जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 158/1, 158/3, 158/2, 159 (162/1), 160/1, 162/2, 163/2, (168/2-3, 169/2-3, 163/3), 172/4, (173/4), एवं 174/4 (175/4), प्लॉट एरिया-1.07 हेक्टेयर में प्रस्तावित बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कुल बिल्टअप क्षेत्रफल-25,727.57 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा वरसमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुन-उपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था, प्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाए।
5. ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. प्रस्तावित लै-आउट में वृक्षारोपण को दर्शाते हुए वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रियंक सिंघानिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदन प्रस्तावित बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्रफल— 25,727.57 वर्गमीटर का है, जिसमें कुटिया बसमेंट पार्किंग एरिया 5,268 वर्गमीटर का समावेश नहीं हुआ है। जबकि प्रस्तावित बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्रफल—30,993.57 वर्गमीटर (25,727.57 वर्गमीटर + 5,268 वर्गमीटर) है। संपुंजा संघालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा अनुमोदित विकास अनुज्ञा में भी बसमेंट पार्किंग एरिया 5,268 वर्गमीटर का उल्लेख है। अतः आवेदित प्रकरण पर प्रस्तावित बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्रफल—30,993.57 वर्गमीटर (25,727.57 वर्गमीटर + 5,268 वर्गमीटर) के पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने के लिए अनुरोध किया गया।
2. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी —
 - निकटतम बहर रायपुर 5.3 कि.मी., रेलवे स्टेशन सरस्वती नगर 1.25 कि.मी. एवं ए.आई.आई.एम.एस. (AIIMS) रायपुर अस्पताल 1.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 14.75 कि.मी. दूर है। खारुन नदी 3.7 कि.मी. दूर है।
 - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सड़क, राष्ट्रीय उद्यान, अमवालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिंकिंगली पील्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
3. भू-स्वामित्व — भूमि मेसर्स अविनाश डेव्हलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है, भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
4. लैण्ड एरिया स्टेटमेंट —

S. No.	Particulars	Ground Coverage (In m ²)	Percentage (%)
1.	All Building Ground Coverage	2,762.00	29.28
2.	Internal Roads and Pathway	2,822.03	29.71

3.	Open Parking	1,065.97	11.22
4.	Open Area	1,683.44	17.72
5.	Plantation	1,146.55	12.07
Total		9,500.00	100.00

शेष क्षेत्रफल 1,200 वर्गमीटर को सबस्टेशन की स्थापना किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को दिया जाना प्रस्तावित है।

5. बिल्टअप एरिया संबंधी विवरण –

Particulars	Commercial	Block "A"		Block "B"	Block "C"	Block "D" (LIG)	Total
		---	LIG				
Ground Floor	372.42	---	---	---	---	---	372.42
1 st Floor	436.4	574	---	574	569.73	304	2,458.13
2 nd Floor	544	574	---	574	569.73	304	2,565.73
3 rd Floor	544	574	---	574	569.73	304	2,565.73
4 th Floor	544	574	---	574	569.73	304	2,565.73
5 th Floor	544	574	---	574	569.73	304	2,565.73
6 th Floor	---	574	---	574	569.73	304	2,021.73
7 th Floor	---	574	---	574	569.73	304	2,021.73
8 th Floor	---	574	---	574	569.73	---	1,717.73
9 th Floor	---	574	---	574	569.73	---	1,717.73
10 th Floor	---	574	---	574	569.73	---	1,717.73
11 th Floor	---	447.56	114.64	574	569.73	---	1,705.93
12 th Floor	---	457.56	114.64	574	585.33	---	1,731.52
Total	2,984.82	6,545.11	229.28	6,888	6,862.36	2,128	25,727.57
Basement Parking	---	---	---	---	---	---	5,266
Total	---	---	---	---	---	---	30,993.57

6. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के ड्रापन क्रमांक / 46465 / नधानि / डिभि.एफएआर / पी.एल.65 / 18 / 2019 रायपुर, दिनांक 06 / 12 / 2019 अनुसार आवसीय (निगमित) प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा जारी की गई है।

7. संक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. प्रस्तावित कार्यकलापों की सुविधाओं का उपयोग अनुमानित कुल 2,050 व्यक्तियों (आवासीय 940 व्यक्तियों एवं कॉमर्शियल 1,110 व्यक्तियों) द्वारा किया जाना बताया गया है।
9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** - निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट को नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से डक कर निर्माण किया जाएगा एवं निर्धारित जल सिंक्रुवण किया जाएगा। अंतरिक्ष मार्गों का पक्कीकरण किया जाएगा।
10. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** - निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों को मू-मसव हेतु उपयोग किया जाएगा। रिसाईकलेबल अपशिष्टों को अनियोजित वेण्डर्स को विक्रय किया जाएगा। परियोजना से ठोस अपशिष्ट के संवहन हेतु तीन कालर बिन/बैग प्रणति अपनायी जाएगी। परियोजना से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा 689.55 किलोग्राम प्रतिदिन (वेट अपशिष्ट 417.75 किलोग्राम प्रतिदिन एवं रिसाईकलेबल अपशिष्ट 203.85 किलोग्राम प्रतिदिन एवं इनर्ट 67.95 किलोग्राम प्रतिदिन) होगी। उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को वेट एवं रिसाईकलेबल के अनुसार संग्रहित किया जाएगा। एकत्रित अपशिष्ट को अपवहन हेतु नगर निगम, रायपुर को उपलब्ध कराया जाएगा।

11. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- **जल स्वयत् एवं स्रोत** - परियोजना में कन्सट्रक्शन फेज 20 घनमीटर प्रतिदिन एवं परियोजना में ऑपरेशन फेज हेतु 222 घनमीटर प्रतिदिन (घंटा वॉटर हेतु 99 घनमीटर प्रतिदिन एवं रिसाईकल वॉटर हेतु 124 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति परियोजना हेतु नगर निगम, रायपुर से की जाएगी।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण** - दूषित जल की मात्रा 159.8 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होगा। दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 200 घनमीटर प्रतिदिन, स्थापित किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के आगंत बार स्क्रीन, ऑबल एण्ड ग्रीस, इम्पेलाइजेशन टैंक, एयर ब्लोअर, मूविंग बेड बायोरेिएक्टर एण्ड ट्यूब सेटलर, क्लोरीन डोसिंग, क्लोरीफाईड वाटर स्टोरेज, मल्टी ग्रेड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर तथा ट्रीटेड वॉटर स्टोरेज आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल की मात्रा 144 घनमीटर प्रतिदिन होगी। उपचारित दूषित जल को विसहन्करण कर विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। फलशिंग हेतु 72 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लोर क्लैनिंग हेतु 25 घनमीटर प्रतिदिन, वेडिबल वॉशिंग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, हार्टिकल्चर हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन एवं एच वी.ए सी. हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन उपचारित जल का उपयोग किया जाएगा। शेष 20 घनमीटर प्रतिदिन उपचारित जल का निस्तारण ड्रेन में किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा।
- **मू-जल उपयोग प्रबंधन** - उद्योग स्थल सीटल राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेगी क्रिटिकल ज़ोन में आता है। जिसके अनुसार-
(अ) वृहत् एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःसंयोजन एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(Handwritten signature)

(ब) घाउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑटोफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर मू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल घाउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल ज़ोन के अंतर्गत आता है, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस दिनांक 01/03/2019 अनुसार Over exploited, critical and semi-critical assessment und में स्थापित इकाइयों, इकास्ट्रक्चर यूनिट एवं माइनिंग प्रोजेक्ट्स को मू-जल उपयोग की अनुमति नहीं दिया जाता है, फलस्वरूप उद्योग को औद्योगिक कार्य हेतु मू-जल दोहन की अनुमति नहीं होगी। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- रेन वाटर हार्वेस्टिंग – कुल रनऑफ 5,018 घनमीटर होगा। एकल रनऑफ को रिचार्ज करने हेतु 5 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। प्रत्येक बिल्डिंग/प्लॉक में 2 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर एवं पार्किंग एरिया में 1 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसप्रकार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 11 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (ध्यात 2 मीटर एवं ऊंचाई 4 मीटर) निर्मित किया जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स में समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।
- 12. विद्युत खपत – परियोजना हेतु 1,800 मेगावाट की आवश्यकता होगी। जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। दैनिक व्यवस्था हेतु 2 नग 150 कै.वी.ए. एवं 1 नग 100 कै.वी.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकोनिकली इन्सुलेशन में स्थापित किया जाएगा, जिससे संलग्न विमनी की ऊंचाई घाउण्ड लेवल से 3 मीटर (सी. पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के आधार पर) रखा जाएगा।
- 13. वृक्षारोपण संबंधी विवरण – परियोजना हेतु 1,146.58 (12.07 प्रतिशत) वर्गमीटर क्षेत्रफल में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण किया जाएगा।
- 14. ऊर्जा संरक्षण उपाय – परिसर में सभी स्थलों पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त किया जाएगा। लेण्ड स्कैपिंग एवं ड्राईव-वे में सोलर एल.ई.डी. लाइटिंग सिस्टम प्रस्तावित है।
- 15. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के जी. एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वर्षा उपचार निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (Rs. in lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (Rs. in lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (Rs. in lakh)
3500	2.0%	70	Following Activities at Nearby Govt. school Mahoba Bazar and Old age home	

aw

			Rain Water Harvesting, Potable drinking water, Running water facility for Toilets, Plantation & Solar lighting System	70.00
			Total	70.00

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. स्वाम प्रधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यवाहक व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत अगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 30/09/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/11/2020 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 347वीं बैठक दिनांक 11/11/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. स्वाम प्रधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। भवन निर्माण अनुज्ञा का आवेदन नगर पालिक निगम, रावपुर में विचारणीय होना बताया गया है। जिसमें 30 से 45 दिन का समय लगना संभावित है।
2. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य किये जाने का प्रस्ताव किया गया है—
 - i. 13 स्कूलों तथा पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के 5 विभागों के भवनों पर सफ़-टॉप रेगुलैटर हाईरिस्टिंग व्यवस्था किये जाने हेतु रुपये 33.93/- लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
 - ii. 13 स्कूलों में आर.ओ. आधारित पीने योग्य पानी रुपये 28/- लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
 - iii. स्कूलों में पर्यावरणीय जन जागरूकता हेतु रुपये 1.5/- लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
 - iv. 6 स्कूलों में सोलर पैनल की व्यवस्था किये जाने हेतु रुपये 6.5/- लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रकार कुल रुपये 70/- लाख का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

3. समिति का मत था कि रावपुर क्षेत्र के स्कूलों में सोलर पैनल की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। स्कूलों में आर.ओ. आधारित पीने योग्य पानी का प्रस्ताव किया गया है जो कि उपयुक्त नहीं है। इसी प्रकार



स्कूलों में प्रस्तावित रेनवॉटर हाईस्टिंग व्यवस्था की गणना केवल एक एरिया के आधार पर की गई है, जबकि रेनवॉटर हाईस्टिंग व्यवस्था की गणना स्कूलों के पूर्ण क्षेत्रफल (एक एरिया एवं ओपन एरिया) को शामिल करते हुये किया जाना आवश्यक है। साथ ही स्कूल/कॉलेज के फोटोग्राफ्स एवं कार्य किये जाने की अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य किया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. स्वाम प्राधिकारी द्वारा जारी नवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. उपरोक्त विवेचना के आधार पर स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यवाहक का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/12/2020, 06/01/2021 एवं 03/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/02/2021 को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:-

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिसमें Mahoba Bazar-From Railway under pass to Hotel Piccadilly, Tatibandh Mukti Dham and Kabe Nagar-Near Ekta Chowk क्षेत्रों में औक्सीजन विकास, एवम्बु वृक्षाटोपण कार्य एवं रायपुर नगर निगम कार्यालय में 20 किलोवॉट क्षमता का सौर पॉवर प्लांट लगाये जाने का प्रस्ताव है। पूर्व में समिति के सम्भा प्रस्तुत सी.ई.आर. के प्रस्ताव से उक्त प्रस्ताव निम्न है। अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण लिया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:-

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुकेश सिंघानिया, डॉ.परवेज़ एवं पर्यावरण सलाहकार मेहता पापीनियर इन्वॉयरी लेबोरेट्रीज एण्ड कन्सल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तावित

कार्य में अनुमानित खर्च अत्यधिक बताई गई है। साथ ही प्रस्तावित कार्य में वृक्षारोपण की बहुत कम छेद में किया जाना बताया है। अतः उक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त विवेचना के आधार पर नवीन सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ को प्राप्ति दिनांक 17/05/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ई) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर यह पाया गया कि नवीन सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया गया है-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
3500	2%	70	Following Activities at Nearby Govt. schools in Mohaba Bazar and Pt. R.S.S.U.	
			Rain Water Harvesting System	36.00
			Potable Drinking Water Facility with Water Tank	09.75
			Running water facility for Toilets	03.90
			Deepening and Cleaning of Pond	18.12
			Plantation	04.23
Total			72.00	

प्रस्तावित सी.ई.आर. का कार्य (1) शासकीय नवीन पूर्ण माध्यमिक शाला, वार्ड नं. 23, (2) शासकीय नवीन प्राथमिक शाला, वार्ड नं. 02, (3) शासकीय उच्च माध्यमिक शाला, रामनगर बस्ती, (4) शासकीय नवीन प्राथमिक शाला, नवानी नगर कोटा, (5) पब्लिक रामसहाय मिश्रा उच्चतर माध्यमिक शाला, मोडवा बाजार, (6) रोटरी कोसमो प्राथमिक शाला, डूमर तालाब, (7) शासकीय कन्या शाला, बीडे कॉलोनी, (8) सखाराम दुबे



मुनिसिपल स्कूल, नियर बंदना औटो, (9) पब्लिक रवि शंकर शुक्ल मुनिसिपली (i. आर्ट्स बिल्डिंग, ii. डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रानिकल, iii. सुंदर लाल शर्मा लाईब्रेरी, iv. साइंस बिल्डिंग), (10) शासकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शाला, भटगांव, (11) शासकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शाला, चाणपुरा, (12) रवि शंकर शुक्ल, कुजुरबेडा, (13) शासकीय स्कूल, हीरापुर एवं (14) शासकीय स्कूल, गोगांव में किया जाएगा। साथ ही मोहवा बाजार के तालाब का गहरीकरण एवं सफाई का कार्य भी किया जाएगा।

उपरोक्त तत्वों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. मेसर्स अविनाश डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (मालुति लाईक स्टाईल टावर), ग्राम-कोटा, तहसील व जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 158/1, 158/2, 158/2, 159 (162/1), 160/1, 162/2, 163/2, (168/2-3, 169/2-3, 163/3), 172/4, (173/4), एवं 174/4 (175/4), प्लॉट एरिया-1.07 हेक्टेयर में प्रस्तावित बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हेतु कुल बिल्टअप क्षेत्रफल-30,993.57 वर्गमीटर (25,727.57 वर्गमीटर + 5,266 वर्गमीटर) हेतु परिशिष्ट-04 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।
2. स्वाम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत किये जाने के उपरोक्त ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाए।

संज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर- श्री मुकेश कुमार जैन), तहसील व जिला-जशपुर

प्रस्ताव का विवरण - यह खदान ग्राम-आरा, तहसील व जिला-जशपुर के खसरा क्रमांक 1324/1, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर, साधारण पत्थर खदान (गोण खनिज) क्षमता-8,793.7 टन प्रतिवर्ष की है। लीज श्री अक्षय कुमार मिश्रा के नाम पर थी।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर द्वारा दिनांक 10/11/2020 को मेसर्स श्री अक्षय कुमार मिश्रा (ग्राम-आरा, तहसील व जिला-जशपुर), तहसील व जिला-जशपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर- श्री मुकेश कुमार जैन), तहसील व जिला-जशपुर के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/12/2020 को संपन्न 103वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नसी/पत्र का अवलोकन किया गया। यह पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के आपन क्रमांक 271/खनि.शा./2020 जशपुर, दिनांक 08/11/2020 के अनुसार प्रस्तुत जानकारी निम्नानुसार है:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1324/1, कुल क्षेत्रफल - 4 हेक्टेयर, क्षमता - 8,793.7 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-जशपुर द्वारा दिनांक 15/03/2017 को जारी की गई।

2. **सूचनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-रायगढ़ के द्वारा क्रमांक 3932/ख.लि.-2/2016 रायगढ़, दिनांक 31/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. विगत वर्षों में किए गए सूचनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	खनिज उत्पादन मात्रा (घनमीटर)
2017	2,050
2018	1,950
2019	400
09/2020	145

4. खनि अधिकारी, जिला-जशपुर के द्वारा मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर-श्री नुकेश कुमार जैन) के नाम पर लीज अंतरण (Lease Transfer) के आवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है।
5. श्री अक्षय कुमार मिश्रा द्वारा पूर्व में अनुमोदित माईनिंग प्लान को मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर-श्री नुकेश कुमार जैन) के नाम पर करने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. श्री अक्षय कुमार मिश्रा द्वारा नामांतरित (Lease Transfer) के संबंध में अनापत्ति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर, उपयुक्त अनुसंधान किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यपालक कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर को प्रकरण की मूल नस्ती प्रेषित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को प्रकरण से संबंधी समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ अगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 22/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 355वीं बैठक दिनांक 27/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नंदकिशोर सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री विवेक साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. खनि निरीक्षक द्वारा प्रकरण की मूल नस्ती का अवलोकन कराया गया।

Signature

2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज का हस्तांतरण दिनांक 23/03/2017 को किया गया। तत्समय माईनिंग प्लान की अवधि वैध होने के कारण माईनिंग प्लान अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है। पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण अनभिज्ञता के कारण नहीं कराया गया। संज्ञान में आने के पश्चात् पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3. वर्तमान में रिवाइज्ड क्वारी प्लान मेसर्स विद्यानागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टर- श्री सुरेश कुमार जी) के नाम पर तैयार कर प्रस्तुत की गई है, जो वन संवातक (ख.प्र.) जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 1848/उनिज/ख.लि.3/उत्खनन को./2020 सरगुजा, दिनांक 04/12/2020 द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलाजिकल रिजर्व 6.48,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,89,852 टन है। लीज क्षेत्र में क्वार 0.15 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में वही गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किये जाने के संबंध स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अर्द्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में दस्तावेज सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में फोटोग्राफ्स सहित स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अर्द्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में दस्तावेज सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त बांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/03/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में वही गई कार्यवाही की जानकारी अनुसार शर्तों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के सहित वृक्षारोपण किया जाना था, जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में 7.5 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में 70-80 नग एवं पहुंच मार्ग में 800 नग वृक्षारोपण किया गया है।

3. लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,981 वर्गमीटर होता है। जिसमें 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में कम से कम 1,500 नग वृक्षारोपण पूर्ण कर, फोटोग्राफस प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अधिन दिनांक 26/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 07/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का आलोचन एवं परीक्षण करने पर यह पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित शर्तानुसार 1,500 नग पौधों का रोपण पूर्ण कर फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेसर्स श्री अश्वय कुमार मिश्रा (ग्राम-आरा, तहसील व जिला-जशपुर), तहसील व जिला-जशपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर- श्री मुकेश कुमार जैन), तहसील व जिला-जशपुर के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) किये जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्रतिक्रम (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स वीव्हा इण्डिया माइनिंग कॉर्पोरेशन, ग्राम-गोड़ी, तहसील-आरग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1461)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनटी/ 57705/2020, दिनांक 05/11/2020।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-गोड़ी, तहसील-आरग, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 596/3, 596/11, 487/3, कुल क्षेत्रफल - 1.02 हेक्टेयर में क्वार्टेज बेनिफिकेशन (वेन्च्युलेजान) यूनिट एन्ड मैनुफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, साइजिंग, साइजिंग ऑफ क्वार्टेज क्षमता - 99,500 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टीओआर बाबत आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रूपए 4.38 करोड़ है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों को पालन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. भूमि स्वामित्व / भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये।
3. सेन्ट्रल ग्रामपंच बाँटन अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाइन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ ज़ोन के अंतर्गत आने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाये।
4. स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं कवरेज सहित) प्रोसेस प्लान चार्ट सहित प्रस्तुत की जाए।
5. ले-आउट में स्थापित / प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 07/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2021 से परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/03/2021 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 28/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 359वीं बैठक दिनांक 06/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गोपाल अग्रवाल, पार्टनर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. **जल एवं वायु सम्मति** – क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरीसंगड़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रामपुर द्वारा क्वार्टेज स्टोरेज क्षमता 3,000 टन प्रतिदिन एवं क्रशिंग एण्ड ग्राइंडिंग यूनिट क्षमता – 99,500 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 16/07/2020 को जारी की गई है, जो उत्पादन प्रारंभ दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध है। वर्तमान में उक्त इकाई का स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- निकटतम आवादी ग्राम-गोडी 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-गोडी 1.2 कि.मी., अस्पताल ग्राम-पीपाघाटा 1.5 कि.मी. एवं लखौली रेलवे स्टेशन 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 24 कि.मी. दूर है। महानदी 18 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, वन्यजीव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिबली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **क्षेत्र एरिया स्टेटमेंट** –

Land Use	Area (In Ha.)
Raw Material Stock Yard	0.089
Crushing Unit	0.193
Storage tank & ETP	0.055
Green belt Development	0.336
Rain water Reservoir	0.025
Road, Office Building	0.32
Total	1.02

4. **भू-स्वामित्व** – भूमि श्री मोतील कुमार अग्रवाल के नाम पर होना बताया गया है। भूमि संबंधी दस्तावेज एवं सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है।
5. **सी-मटेरियल** – सी-मटेरियल के रूप में लो-रोड क्वार्टेज 99,500 टन प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा। उत्पाद के रूप में हाई-रोड क्वार्टेज 99,400 टन प्रतिवर्ष एवं रेष स्लज 100 टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। सी-मटेरियल का परिवहन सड़क मार्ग से ट्रकें द्वारा वाहनों द्वारा किया जाएगा।
6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – क्रशिंग यूनिट को कन्डर ड्रेड में स्थापित किया गया है एवं 2 नम बेग फिल्टर 30 एचपी क्षमता की स्थापना की जाएगी। साथ ही डस्ट सप्रेसन / यमुजिटिव डस्ट कलेक्शन के नियंत्रण हेतु जल सिंक्राज की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अंतरित मार्गों के प्रबन्धीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसका कार्य पूर्ण होने के उपरांत वॉटर रिट्रिकलर लगाया जाएगा।
7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – ठोस अपशिष्ट के रूप में स्लज 100 टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। उत्पन्न स्लज को अधिकृत रिहायकालर को उपलब्ध कराया जाएगा।



8. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- जल खपत एवं स्रोत - परियोजना हेतु कुल 23 घनमीटर प्रतिदिन (वीरार प्लांट उपयोग हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट संप्रेशन हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन एवं चीन बेल्ट हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति कोरवाल से की जाएगी। मू-जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेंट्रल प्राइमरी वॉटर अथॉरिटी से लिया जाना प्रस्तावित है।
- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न अम्लीय दूषित जल के उपचार हेतु 300 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता के इफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट की व्यवस्था की जायेगी।
- मू-जल उपयोग प्रबंधन - परियोजना स्थल सेंट्रल प्राइमरी वॉटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार-
 - (अ) कृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःसंग्रहण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
 - (ब) प्राइमरी वॉटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑटोफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर मू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल प्राइमरी वॉटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग की रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- 9. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था - उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 4,545 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के आर्गेन 1 पीपेड 2,202 घनमीटर (गहराई 3 मीटर) का निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। इस जल का उपयोग बेनिफिकेशन प्लांट में किया जाएगा।
- 10. विद्युत खपत एवं स्रोत - परियोजना हेतु 100 किलो.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एफोर्सिटाकम्पनी इन्फ्लोअर में स्थापित किया जाएगा।
- 11. नुसारोपण की स्थिति - कुल क्षेत्रफल में से 0.336 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) में 700 मग नुसारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
- 12. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत ले-आउट एवं KML file में गिनती है। प्रस्तुत ले-आउट में जसरा कर्नाक 596/3, 596/11, 467/3, कुल क्षेत्रफल - 1.02 हेक्टेयर में इकाई की स्थापना बताई गई है, जबकि उक्त क्षेत्रफल को KML file में दर्जित नहीं किया गया है। इस संख्य में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
- 13. टी-मटेरियल एवं प्रोडक्ट्स का गणना सहित विवरण प्रस्तुत नहीं की गई है। इसी प्रकार टीच अपशिष्ट के रूप में ससज 100 टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होना बताया गया है, जो कि क्वार्टज बेनिफिकेशन क्षमता के अनुसार कम प्रतीत होता है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि ईआईए तैयार किये जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिसम्बर, 2020 से फरवरी, 2021 तक किया गया है। उक्त बेसलाईन डाटा को मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. अंतगमन में स्थापित इकाईयाँ हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज एवं भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत की जाये।
3. वॉटर बैलेस चार्ट की जानकारी, दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए। साथ ही इम्प्लूमेंट ट्रीटमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित इकाईयाँ का पूर्ण विवरण प्लानचार्ट सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. सी-मटेरियल बैलेस की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही एसिड एवं लाईम की दैनिक उपयोग की मात्रा की जानकारी मटेरियल बैलेस सहित प्रस्तुत की जाए।
5. क्वार्टज बेनिफिकेशन क्षमता के अनुसार उत्पन्न टोस अपशिष्टों की गणना करते हुये अपशिष्टों की मात्रा एवं उसके निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. ले-आउट में प्रस्तावित कार्यकलापों (ज्या क्वार्टज बेनिफिकेशन यूनिट, क्रोसिंग, साइडिंग, वाइडिंग इकाई, ई.टी.पी, स्टोरेज क्षेत्र, रेन वॉटर हार्बिस्टिंग पिट, पुनःउपयोग आदि) को दर्शाते हुये प्रस्तुत की जाये।
7. स्थल निरीक्षण के उपरांत सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एन.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ ने आपन दिनांक 26/06/2021 के परिप्रेष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 07/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अंजोक्षण एवं परीक्षण करने पर सह पाया गया कि:-

1. जल एवं वायु सम्मति -

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से स्टोरेज ऑफ क्वार्टज क्षमता - 3,000 टन प्रतिदिन एवं क्वार्टज क्रशिंग एण्ड साइडिंग क्षमता - 99,500 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 16/07/2021 को जारी की गई है।

- वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु प्रदूषण नियंत्रण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के फालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- 2. भूमि खसरा क्रमांक 595/1, 595/11 एवं 467/3 की गोपाल कुमार अग्रवाल (पार्टनर) के नाम पर है।
- 3. परियोजना हेतु कुल 48 घनमीटर प्रतिदिन (क्वार्टेज वाशिंग हेतु 40 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्लेशन हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन एवं पीन बेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति बोस्केट/रेन वाटर हार्वेस्टिंग पोण्ड से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु अनुसूची सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से लिया जाना आवश्यक है।
- 4. औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न अम्लीय दूषित जल के उपचार हेतु 100 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता के इफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट की व्यवस्था की जाएगी। प्रोसेस से 40 किलोग्राम प्रतिदिन स्लज उत्पन्न होगा, जिसे स्लज डिस्पोजल यार्ड सेक्टर 940 वर्गमीटर में भंडारित करने रखा जाएगा।
- 5. सी-मटेरियल बेल्ट से की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार सी-मटेरियल के रूप में लो-ग्रेड क्वार्टेज 99,500 टन प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा। उत्पाद के रूप में हाई-ग्रेड क्वार्टेज 99,400 टन प्रतिवर्ष एवं सेप स्लज 100 टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। सी-मटेरियल का परिवहन सड़क मार्ग से ड्रॉक हुवे वाहनों द्वारा किया जाएगा। एरिड की मात्रा 18 किलोलीटर प्रतिदिन है। साथ ही एरिड एवं लाईन की दैनिक उपयोग की मात्रा की जानकारी मटेरियल बेल्ट से सहित प्रस्तुत नहीं गई है।


6. भूमि उपयोगिता संबंधी विवरण –

Land Use	Justification of land	Area in SQ. Meter
Plant Shed	Crusher unit with product storage area for 7 days storage	1,934
Green belt	5m width x 675m boundary length	3,374
Beneficiation unit and ETP	Acid & Water tank (12 no's)	670
Raw Material Storage	7 days storage of raw material (4m height) Source: Captive mining	1,820
Road	Internal Road	600
Rain Water Harvesting	20m x 34m with depth (3m) = Capacity 2,040 cum	680
Office Building	-	200
ETP Sludge Storage Yard	-	940
Total	-	10,218

Signature
 Date: _____
 (Date)



Signature
 Date: _____
 (Date)



For _____

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____

मैसर्स श्री गिरीश देवांगन, सेमरा बी रोण्ड मार्ग
को खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल-4 हेक्टर में से 1.99 हेक्टर, ग्राम-बर्स,
तहसील-कुरुद, जिला-धनगढ़ी (छ.ग.) में खारून नदी से रेत उत्खनन क्षमता
19,900 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 4.9 हेक्टर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 1.99 हेक्टर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 19,900 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। रेत माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
5. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्ताभुसार निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का पोस्ट-मानसून सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छातीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें।
6. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं बिंदु बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (घोनी ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं बिंदु बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छातीसगढ़ को प्रस्तुत किए जावें।
7. रेत की खुदाई भूमिओं द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संचयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। तिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे

(Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

8. रेत का उत्खनन केवल विन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हाई बैंक) को ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
9. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 22 मीटर की दूरी की बाध किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापहेन, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल स्राव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्धारित न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
12. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागी यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिक्रमण वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, निकाय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
14. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
16. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,000 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 500 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार

की बाढ़ का उपचार) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।

17. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
18. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सॉफ्ट एवं फोटोग्राफ्स अर्थात्वार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
42.9	2%	0.85	Following activities at Nearby Government High School, Village-Semra	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Running Water Facility for Toilets	0.20
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Plantation	0.15
Total			0.85	

20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
21. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेल उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
22. छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेल उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्राधान्यों/तर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।



23. कार्य स्थल पर यदि केमिंग क्षमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे क्षमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
24. क्षमिकों के लिए खाने स्थल पर लाभदायक पेयजल विहितसर्वीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
25. क्षमिकों का समय-समय पर आयुपूर्वशाल हेल्थ सर्विलेस कराया जाये।
26. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
27. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारी के अधिकमन अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उत्तरधान हेतु अधिकृत करता है।
28. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से परियोजना की समीक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
29. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अपलोड हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अपलोडन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
30. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
31. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,



भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों को अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

32. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन क्वालन एवं सीमापार संभालन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
33. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
34. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
35. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में ही जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मैसर्स श्री नरेश कुमार अग्रवाल (डोभापानी आर्टिजनी स्टोन क्वारी)
को खनन क्रमांक 590/512, कुल लीज क्षेत्र 1.24 हेक्टेयर, ग्राम-डोभापानी,
तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया में साधारण पत्थर (मौल खनिज) उत्खनन -
13,508 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय शर्तों में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय शर्तों अतिक्रम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.24 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 13,508 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कशकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. पर्यावरणीय शर्तों की कक्षा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई-आई-ए नोटिफिकेशन, 2006 (तथा सशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेंगी।
4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनः-उपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
5. खनि पदार्थ धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रैसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह वाश वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पन्न हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयं प्राधिकारी से अनुमोदित माईन ब्लीजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
6. नू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय नू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
7. किसी घिसनी / बेंट / प्वाइंट रोलर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अशर, स्कीन, ट्रांशफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का हेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पट्टीय मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन

विन्दुओं इस्ट कांटेन्मेंट कम सप्लेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इलाका सदातु संचालन /संभारण सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
9. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 1.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
10. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी औवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
11. औवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हित स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। औवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
12. जहाँ तक संभव हो औवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पर्याप्त बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिस्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
14. खनिज का परिवहन नेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40.4	2%	0.81	Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Dobhapani	

			Rain Water Harvesting System	0.35
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Running Water Facility for Toilets	0.25
			Plantation with Fencing	0.10
			Total	0.85

16. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
17. उत्खनन हेतु निविद्ध क्षेत्र (घारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डिन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति को 880 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
18. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इगली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
19. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
20. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण सफ़ल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
21. लीज क्षेत्र के अंदर-स्थापित/ प्रस्तावित क्रशर पर वेब कैमरा (एक माह का स्टोरेज कैपैसिलिटी सहित) लगाया जाए।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में कान कने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर विविधसंजीव जीव एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
23. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से बहारिंग किया जाए। सक्षम के छोटे-छोटे टुकड़ों (सानई रोक्स) को उठाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
24. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाव में ली जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

३५

25. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज वन उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। गाईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
27. कार्य स्थल पर यदि जैविक श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
28. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विफलताकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
29. श्रमिकों का समय-समय पर आयुपूर्णाकत हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
30. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपेक्षित सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
31. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
32. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनैडिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/मिस्तर करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / मिस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
33. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
34. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
35. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

36. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
37. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विधियों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
38. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
39. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
40. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स श्री संजय कुमार साहू

(तिवरागुडी बिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स विमनी प्लांट)

को खसरा क्रमांक 2451, ग्राम-तिवरागुडी, तहसील-रामानुजनगर, जिला-सूरजपुर,
कुल लीज क्षेत्र 1.46 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गोण खनिज) क्षमता - 1,140
घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 9,51,974 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में
दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी कलस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 1.46 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गोण खनिज) क्षमता - 1,140 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 9,51,974 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर फर्कके मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन: 2008 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की पूरी छोरफर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। बिक्स विमनी से चारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गार्ड-जाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं धरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए अतितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। धरेलू दूषित जल से उपचार के लिये सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा घरेलूसंगठ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

8. ईट उत्पादन हेतु विद्यमान विननी आधारित ईट भट्टे की स्थापना किया जाए। ईट भट्टे की विननी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा एवं विननी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फायुजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पर्यटन मार्ग, रैम्प, संघटन क्षेत्र, भलाई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संभालन /संभारण सुनिश्चित किया जाए।
9. ईट निर्माण में पलाई एश का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी विशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।
10. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवर्तित वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
11. ईट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा पलाई एश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईट भट्टे से उत्पन्न राख का पुनःउपयोग ईट निर्माण में किया जाए। टोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईट के टुकड़ों आदि को नू-भरण हेतु उपयोग किया जाए।
12. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग ईट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (लीनकरैटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैंक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें। भण्डारित ढग की ऊंचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन ढग का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीकों से वृक्षारोपण किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, ढग क्षेत्र, ईट भट्टा क्षेत्र में रिटनिंग वॉल /गाररैम्पड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
15. मिट्टी एवं ईट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढाके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज



का परिवहन कर रहे वाहनों को झमला से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38	2%	0.76	Following activities at Government Primary School, Village – kudalipara tiwaragudi	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation with fening	0.20
			Total	0.80

17. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), होल रोड, ओवरबर्डिंग डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 279 वृक्षों का सभन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
19. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 में कम से कम 200 पीघे प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, रौरू, आम, इमली, अर्जुन, शीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 पीघों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कंटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
20. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पीघों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
21. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण सन्वाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
22. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

23. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसंघर्षों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
24. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
25. कार्य स्थल पर यदि कोम्प्लैक्स भूमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे भूमिकों को आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
26. भूमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकिरसकीय सुविधा, मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
27. भूमिकों का समय-समय पर आकूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस करना आवश्यक है।
28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
31. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
33. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की

जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये वस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

34. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
35. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। वे शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकेतनय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संतलन) नियम, 2016 तथा लोक-दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन निर्दिष्ट की जा सकती हैं।
36. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विध्वंस अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
37. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
38. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के सम्म, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिये गये प्रावधानों अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

**ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR
M/S AVINASH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED (MARUTI LIFESTYLE TOWER)
AT KHASRA NUMBER 155/1, 158/3, 158/2, 159, (162/1), 160/1, 162/2, 163/2,
(168/2-3, 169/2-3, 163/3), 172/4, (173/4), 174/4, (175/4), VILLAGE- KOTA, TEHSIL
& DISTRICT- RAIPUR FOR RESIDENTIAL GUM COMMERCIAL COMPLEX,
PROJECT AREA - 1.07 HECTARE & BUILT UP AREA - 30,993.57 SQUARE
METER**

I. Statutory compliance:

- i. The project proponent shall obtain all necessary clearance / permission from all relevant agencies including Town & Country planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
- ii. The project proponent shall obtained permission for this project from Chhattisgarh Real Estate Regulatory Authority, Raipur
- iii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of Buildings due to earthquakes, adequacy of fire fighting equipment etc as per National Building Code including protection measures from lightning etc.
- iv. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment conservation Board.
- v. The project proponent shall obtain the necessary permission for usage of water required for the project from the competent authority.
- vi. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
- vii. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
- viii. The provisions of the Solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
- ix. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power strictly. Use of chillers shall be DFC & HCFC free.

II. Air quality monitoring and preservation

- i. Notification GSR 94(E) dated 25/01/2018 of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for projects requiring Environmental Clearance shall be complied with.
- ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
- iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$) covering upwind and downwind directions during the construction period.
- iv. Diesel power generating sets proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with Chhattisgarh Environment conservation Board.
- v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site (at least 3 meter height). Plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, murram and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site.
- vi. Sand, murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
- vii. Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
- viii. All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and

construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.

- ii) The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
- iii) The gaseous emissions from DG set shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
- iv) For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

iii. Water quality monitoring and preservation

- i) The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.
- ii) Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
- iii) Total fresh water use shall not exceed the proposed requirement as provided in the project details.
- iv) The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur along with six monthly Monitoring reports.
- v) A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed, the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.
- vi) At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc would be considered as pervious surface.
- vii) Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water for flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc, shall be done.
- viii) Use of water saving devices/ fixtures (viz. low flow flushing systems, use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
- ix) Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
- x) Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
- xi) The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provision is not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Byelaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.
- xii) A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built up area and storage capacity of minimum one day of total fresh water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority. Project proponent shall develop rainwater-harvesting structures for 100% harvesting of rainwater in the premises for recharging the ground water table. Rainwater from open spaces shall be collected and reuse for landscaping and other purposes. Rooftop rainwater harvesting shall be adopted for the buildings & residential blocks to be constructed by individual owners. Every building shall have rainwater-harvesting facilities. The storm water flowing in roadside drains shall also be recycled and reused to maintain the vegetation and discharged into natural water bodies. Before recharging the surface runoff, pre treatment must be done to remove suspended matter and oil & grease. Rainwater harvesting pits shall be constructed as per proposal.
- xiii) All recharge should be limited to shallow aquifer.
- xiv) No ground water shall be used during construction phase of the project.

- iv. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.
- v. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur along with six monthly Monitoring reports.
- vi. Sewage shall be treated in the STP (bar screen, trap, equalization tank, reactor, tube settler, sand filter, activated carbon filter and sludge drying bed) with tertiary treatment. The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing, AC make up water and gardening. Zero discharge condition shall be maintained as far as possible. Project proponent shall install separate electric metering arrangement with time totalizer for the running of pollution control systems. The record (logbook) of power & chemical consumption for running the pollution control systems shall be maintained.
- vii. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
- viii. Onsite sewage treatment of capacity of treating 100% waste water to be installed. The installation of the Sewage Treatment Plant (STP) shall be certified by an independent expert and a report in this regard shall be submitted to the Ministry before the project is commissioned for operation. Treated waste water shall be re-used on site for landscape, flushing, cooling tower and other end-uses. Excess treated water shall be discharged as per statutory norms notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Natural treatment systems shall be promoted.
- ix. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problem from STP.
- x. Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2012. The sludge generated from Sewage Treatment Plant (after drying) shall be used as manure for gardening purpose.

IV. Noise monitoring and prevention

- i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitored during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB / SPCB.
- ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.
- iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground-run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures

- i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
- iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof U-values shall be as per ECBC specifications.
- iv. Energy conservation measures like installation of LED for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.
- v. Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level / local building by-laws requirement, whichever is higher.
- vi. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 30% of the hot water demand of the commercial and institutional building or

as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. Waste Management

- i. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the M.S.W. generated from project shall be obtained.
- ii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
- iii. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste shall be segregated into wet garbage and inert materials.
- iv. Organic waste compost/ Vermiculture pit/ Organic Waste Converter within the premises with a minimum capacity of 0.3 kg/person/day shall be installed.
- v. All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.
- vi. Domestic hazardous waste generated within premises shall be properly arranged as per the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.
- vii. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.
- viii. Use of fly ash based bricks / blocks / tiles / products shall be ensured. Blended cement with fly ash shall be used. The provisions of notification issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India regarding use of fly ash must be complied with. Appropriate usage of other industrial wastes shall also be explored. Soil borrow area should be filled up with ash with proper compaction and covered with topsoil kept separately. Fly ash / pond ash shall be used for low-lying areas filling, in embankments / road construction etc; ash shall be utilized as per guidelines of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India / Central Pollution Control Board / Indian Road Congress etc. concerning authorities. The use of perforated brick / hollow blocks / fly ash based lightweight aerated concrete etc. shall also be ensured so as to reduce load on natural resources.
- ix. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016. Ready mixed concrete must be used in building construction.
- x. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the Construction and Demolition Rules, 2016.
- xi. Used CFLs, LEDs and TFLs should be properly collected and disposed off / sent for recycling as per the prevailing guidelines / rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. Green Cover

- i. No tree can be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolutely necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted).
- ii. Green belt shall be developed in an area equal to 13.07 % of the net planning area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greentbelt shall inter alia cover the entire periphery of the constructed. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.
- iii. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.
- iv. Topsoil should be stripped to a depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetation on site.

VIII. Transport

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public, and private networks. Road should be designed with due consideration for environment, and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria:
 - a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic.
 - b. Traffic calming measures.
 - c. Proper design of entry and exit points.
 - d. Parking norms as per local regulation.
- ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.
- iii. A detailed traffic management and traffic decongestion plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the roads within a 05 kms radius of the project is maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of all development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management plan shall be duly validated and certified by the State Urban Development department and the P.W.D / competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.
- iv. The project proponent shall use covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of construction materials and C&D wastes.

IX. Human health issues

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- iv. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. Corporate Environment Responsibility

- i. The project proponent shall undertake the following Corporate Environment Responsibility under environment management plan as per proposal submitted within 06 months -

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
3500	2%	70	Following Activities at Nearby Govt. schools in Mohaba Bazar and Pt. R.S.S.U.	
			Rain Water Harvesting System	36.00
			Potable Drinking Water Facility with Water Tank	09.75
			Running water facility for Toilets	03.60
Dispersing and		18.72		

			Cleaning of Pond	
			Plantation	04.33
			Total	72.00

- ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.
- iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
- v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
- vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

XI. Miscellaneous

- i. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).
- ii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.
- iii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- v. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- vi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely, PM10, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- vii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- viii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.
- ix. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.
- x. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.
- xi. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

- xi) Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- xii) SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
- xiii) SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- xiv) The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.
- xv) The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2018 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
- xvi) Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 18 of the National Green Tribunal Act, 2010.



Member Secretary, SEAC

Chairman, SEAC